सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

किसानों के लिए मार्गदर्शिका

कृषि एवं सम्बद्ध विभागों में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा
विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं में लागत मानदंड एवं सहायता के प्रतिरूपों पर आधारित

कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण निदेशालय,
कृषि भवन, तालाब तिल्लो, जम्मू।

सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

किसानों के लिए मार्गदर्शिका

कृषि एवं सम्बद्ध विभागों में भारत सरकार के कृषि
एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर द्वारा विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं में
लागत मानदंड एवं सहायता के प्रतिरूपों पर आधारित

कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण निदेशालय,
कृषि भवन, तालाब तिल्लो, जम्मू।

अनुक्रमणिका

क्र.संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1-	—f"k foHkkx	1 ls 42
2-	ckxokuh foHkkx	43 ls 48
3-	i'kqikyu foHkkx	49 ls 68
4-	HkM+ ikyu foHkkx	69 ls 73

सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर
कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण निदेशालय,
कृषि भवन, गोल पुली, तालाब तिल्लो, जम्मू।
दूरभाष : 0191–2505201, 0191–2552145
फेक्स : 0191–2505619
email : diragrijammu-jk.gov.in
website : www.diragrijmu.nic.in

कृषि विभाग जम्मू विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है और इन योजनाओं की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में यहाँ किया गया है :

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– रफ़्तार (आर के वी वाई– रफ़्तार) :

यह मुख्य रूप से एक ज़िला आधारित योजना है जो व्यापक जिला कृषि योजनाओं (सी डी ए पी) के आधार पर तैयार की गई है। यह राज्यों को संसाधनों और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ज़िला विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं को तैयार करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। फसल पूर्व अवसंरचना, कटाई उपरांत अवसंरचना मूल्य वर्धित उत्पादन और कृषि व्यवसाय, फ्लेक्सी फंड, विशेष योजनाएँ और नवाचार और उद्यमिता विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाएँ। इस योजना के अन्तर्गत जो प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं उनमें संरक्षित खेती, बुनियादी ढाँचे के निर्माण, रोपवे की स्थापना, विपणन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास और फसल के बाद प्रबंधन, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, मधुमक्खी पालन और मशरूम को बढ़ावा देना, एस आर आर में वृद्धि, एफ पी ओ आदि को शुरू किया गया है।

केसर पर राष्ट्रीय मिशन

केसर पर राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है; इसे राज्य में 2010–11 में शुरू किया गया था लेकिन वास्तविक परियोजनाओं को 2011–12 के दौरान शुरू किया गया था। परियोजना की अवधि 4 वर्ष है। कार्यक्रम को केसर की गुणवत्ता उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है। और इस परियोजना को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ ज़िले में 120 हेक्टेयर के पारम्परिक क्षेत्र में लॉन्च किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख हस्तक्षेप में कायाकल्प/पुनरोद्धार, सार्वजनिक नर्सरी में गुणवत्ता वाले कॉर्म (बीज) उत्पादन, सिंचाई के बुनियादी ढाँचे का निर्माण, सौर ड्रायर के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि, केसर फसल के मशीनीकरण, प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और गैर–पारम्परिक क्षेत्रों में अनुकूली परीक्षण करना शामिल है।

शहरी समूहों के लिए राष्ट्रीय सब्ज़ी पहल (2015–16 से आर के वी वाई सामान्य के साथ विलय)

यह परियोजना वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत सब्ज़ियों के उत्पादन एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने, सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की सब्ज़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जम्मू शहर में सब्ज़ियों की खेती करने वाले किसानों के समूहों को लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत लघु किसान कृषि

व्यवसाय संघ (एस एफ ए सी) द्वारा बैक–अप समर्थन के साथ सब्ज़ी उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण में एंड–टू–एंड लिंकेज प्रदान करना है। किसान संघों/समूहों को बढ़ावा देना, बेस लाइन सर्वेक्षण, उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के सब्ज़ी बीज और पौध उत्पादन, जैविक खेती, वर्मीकम्पोस्ट इकाईयाँ और वर्मीबेड, खुली स्थिति में सब्ज़ियों की खेती, ग्रीन हाउस के माध्यम से संरक्षित खेती, एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन जैसे विभिन्न हस्तक्षेप। (आई एन एम)/एकीकृत कीट प्रबंधन (आई पी एम), संग्रह केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन, प्याज भंडारण के लिए ढाँचे, मोटराइज़्ड वेंडिंग कार्ट, स्टेटिक वेंडिंग कार्ट आदि बुनियादी ढाँचों का निर्माण करके कटाई के बाद प्रबंधन एवं विपणन और किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। 2015–16 से इस उप–योजना का विलय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के साथ कर दिया गया है।

2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन एम ए ई टी) :

इस केंद्र प्रायोजित योजना में निम्नलिखित उप–मिशन शामिल हैं :

(ए) कृषि विस्तार पर उप मिशन (ए टी एम ए)

यह योजना एक सहभागी दृष्टिकोण के साथ राज्य के सबसे दूर के कोनों में नई और बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी की पहुँच बढ़ाने के लिए समर्पित है। जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर, फसल प्रदर्शन, एक्सपोजर यात्राएँ, प्रदर्शनियाँ, किसान गोष्ठियाँ, किसानों एवं वैज्ञानिकों में बातचीत और फार्म स्कूल (एफ एस) योजना के प्रमुख तत्त्व हैं। इस योजना के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध विभागों, के वी के और विभिन्न अन्य हितधारकों के सहयोग से सामरिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एस आर ई पी) विकसित की गई है।

(बी) बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन (एस एम एस पी)

"राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एस एम एस पी)" के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना के बीज और रोपण सामग्री पर यह उप–मिशन, बीज उत्पादन श्रृंखला की पूरी पहुँच बीज को उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति तक, बीज क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कवर करता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को नई और उन्नत किस्मों की फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करने और उन्हें इसके उचित भंडारण हेतु प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाना है। इस योजना में गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर किसानों को फाउंडेशन/प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, भंडारण और संरक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार उत्पादित बीज को साथी किसानों के बीच सांझा करें, ताकि हर साल ताज़ा खरीद पर निर्भरता कम हो और

खेत में बचाए गए बीज की गुणवत्ता में सुधार हो। योजना के अन्तर्गत शामिल प्रमुख उप घटक – बीज ग्राम कार्यक्रम, आकस्मिक योजना के लिए राष्ट्रीय बीज रिज़र्व, बीज गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, बीज प्रमाणन एजेंसी को सहायता, बीज उपचार, पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण व सह–इकाईयों की –बीज भंडारण की स्थापना द्वारा बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना व परिवहन सब्सिडी आदि शामिल हैं।

(सी) कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (एस एम ए एम)

वर्ष 2014–15 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन एम ए ई टी) का विस्तार इस राज्य में किया गया।

यह योजना मुख्य रूप से प्रशिक्षण/प्रदर्शन आयोजित करके जागरूकता पैदा करने, सब्सिडी प्रदान करके छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुँच बढ़ाने, **लघु भूमि धारकों** और **उसमें** उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए **'कस्टम हायरिंग सेंटर'** को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। **इसके अलावा** व्यक्तिगत स्वामित्व का, कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना, चयनित गाँवों में फार्म मशीनीकरण को बढ़ावा देना और नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना **है**।

3. स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन :

यह योजना राज्य में 2014–15 के दौरान एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत स्थानीय विशिष्ट उन्नत कृषि विज्ञान प्रथाओं को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत जल उपयोग दक्षता, रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग व फसल विविधीकरण शामिल हैं। इसके अलावा कृषि–पशुधन जैसी प्रणालियों का प्रगतिशील अभिग्रहण, एकीकृत कृषि प्रणालियों (आई एफ एस) पर आधारित तरीकों जैसे कृषि–बागबानी, कृषि–रेशम पालन, कृषि–वानिकी, मछली–पालन आदि प्रमुख हैं। इस योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं –

(ए) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि प्रणाली के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संरक्षण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू संभाग में इसके विकास के लिए ग्यारह समूहों की पहचान की गई है। इस घटक के अंतर्गत कृषि के विविध घटकों जैसे फसलों, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, वानिकी को कृषि आधारित आय सृजन गतिविधियों और मूल्य

संवर्धन के साथ एकीकृत करके उपयुक्त कृषि प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, मृदा परीक्षण/मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित पोषक तत्त्व प्रबंधन प्रथाओं, कृषि भूमि विकास, संसाधन संरक्षण और स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल चयन को भी इस घटक के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है।

(बी) मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एस एच एम)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थान विशिष्ट व फसल विशिष्ट को टिकाऊ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ–साथ अवशेष प्रबंधन, मृदा उर्वरता मानचित्र बनाने और उन्हें मैक्रो व सूक्ष्म पोषक प्रबंधन के साथ जोड़ने के माध्यम से जैविक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देना है। साथ ही भूमि क्षमता के आधार पर उचित भूमि उपयोग, उर्वरकों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग और मिट्टी के क्षरण/गिरावट को कम करना भी शामिल है। व्यापक क्षेत्र स्तरीय वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के माध्यम से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) आधारित विषयगत मानचित्रों और भूमि और मिट्टी की विशेषताओं पर डेटाबेस के माध्यम से उत्पन्न भूमि उपयोग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर प्रथाओं के विभिन्न बेहतर पैकेज के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

(सी) मृदा स्वास्थ्य कार्ड

यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और पोषक तत्त्व प्रबंधन प्रथाओं के विकास के लिए राज्य में 2014–15 से शुरू की गई थी। योजना के अन्तर्गत प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- जम्मू संभाग के 6.44 लाख किसानों को 3 साल के भीतर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग में पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके। तीन वर्षों के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड पुनः जारी करने के लिए अगले तीन वर्षों के दौरान सभी परिवारों को कवर करने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस टी एल) के कामकाज को मज़बूत करने हेतु उनकी क्षमता का विकास, कृषि छात्रों की भागीदारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए आर)/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस ए यू) के साथ प्रभावी जुड़ाव स्थापित करना।
- राज्यों में समान रूप से नमूना लेने के लिए मानकीय प्रक्रियाओं के साथ मिट्टी की उर्वरता सम्बंधी बाधाओं का निदान करना और लक्षित ज़िलों में तालुका/ब्लॉक स्तर की उर्वरक सिफारिशों का विश्लेषण और डिज़ाइन करना।
- पोषक तत्त्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए ज़िलों में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्त्व प्रबंधन को विकसित करना और बढ़ावा देना।
- पोषक तत्त्व प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ज़िला और राज्य स्तर

के कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों की क्षमता का निर्माण करना।

(डी) जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग (सी सी एस ए एम एम एन)

इस योजना में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञान व सूचनाओं का दिद्धश (भूमि / किसानों से अनुसंधान / वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और इसके विपरीत) प्रसार एवं निर्माण किया जाता है, जो कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / शमन, अनुसंधान / माडल परियोजनाओं के जलवायु परिवर्तन स्मार्ट टिकाऊ प्रबंधन प्रथाओं के एकीकृत कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो। कृषक समुदाय के लाभ के लिए ज्ञान व सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एकल खिड़की सेवा शुरू की जायेगी जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस ए यू), कृषि विज्ञान केंद्रों (के वी के), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई सी ए आर) संस्थानों आदि जैसे ज्ञान भागीदारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक संघ दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। इस घटक के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निगरानी, फीडबैक, ज्ञान नेटवर्किंग और कौशल विकास को भी सहायता दी जाएगी। इस परियोजना के तहत राजौरी ज़िले के बुद्धल ब्लॉक को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पायलट आधार के रूप में पहचाना गया है।

(ई) परम्परागत कृषि विकास योजना

यह एक पारंपरिक खेती सुधार कार्यक्रम है और इसे 2015–16 के दौरान जम्मू–कश्मीर राज्य में जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देने और इस तरह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू किया गया है। यह किसानों को खेती की पर्यावरण के अनुकूल अवधारणा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उपज में सुधार के लिए उर्वरकों और कृषि रसायनों पर उनकी निर्भरता को कम करेगा। योजना को लागू करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) राज्य में वर्ष 2011–12 के दौरान तीन ज़िलों में केवल धान की फसल को कवर करते हुए शुरू किया गया था। वर्तमान में यह मिशन चार फसलों चावल, गेहूँ, दलहन और मक्का को कवर कर रहा है।

राज्य के सभी 22 जिलों में दलहन और मक्का का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जबकि राज्य के आठ–आठ ज़िलों में चावल और गेहूँ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जम्मू–कश्मीर राज्य में 2019–20 से एक और घटक न्यूट्री अनाज को भी जोड़ दिया गया है।

यह योजना मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, दालों और मोटे अनाज (मक्का) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, व्यक्तिगत खेत स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और

उत्पादकता को बहाल करने, किसानों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था (यानी कृषि लाभ) को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

मिशन के तहत प्रमुख हस्तक्षेप क्लस्टर प्रदर्शन, एच वाई वी/हाइब्रिड बीज का वितरण, पौधे और मिट्टी संरक्षण प्रबंधन, संसाधन संरक्षण तकनीक/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग और उपकरण, प्रशिक्षण और स्थानीय पहल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से NMOOP योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के साथ अलग घटक तिलहन (OS) और वृक्षों से उत्पन्न तिलहन (TBO) के रूप में मिला दिया गया है।

5. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन :

बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एम आई डी एच) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें फल, सब्ज़ियाँ, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे और बाँस शामिल हैं। यह मिशन 2014–15 के दौरान जम्मू–कश्मीर में शुरू किया गया। मिशन में निम्नलिखित उप–योजनाएँ हैं, जो जम्मू डिवीजन के कृषि विभाग में कार्यान्वित की जा रही हैं :

(ए) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच एम एन ई एच) :

यह योजना राज्य में वर्ष 2003–04 के दौरान एक प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में शुरू की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन कर दिया गया। यह मुख्य रूप से बीज उत्पादन/सब्ज़ियों के क्षेत्र विस्तार, जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, मशरूम (स्पॉन/कम्पोस्ट बनाने की इकाई), संरक्षित खेती, जैविक खेती, मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता, बागवानी मशीनीकरण और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।

(बी) राष्ट्रीय बाँस मिशन :

यह योजना राज्य में वर्ष 2008–09 के दौरान तीन ज़िलों में शुरू की गई थी और बाद में इसे जम्मू संभाग के छह ज़िलों में विस्तारित किया गया था। योजना का उद्देश्य वन और गैर–वन दोनों क्षेत्रों में बाँस की उपयुक्त किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार करना है व उपज बढ़ाने और बाँस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना है। मिशन की गतिविधियाँ मुख्य रूप से वृक्षारोपण विकास, नर्सरी की स्थापना, मानव संसाधन विकास, सिंचाई और कीट नियंत्रण पर केंद्रित हैं।

6. राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस कृषि–योजना (एन ई जी पी–ए)

एनईजीपी–ए को राज्य में 2014–15 के दौरान नागरिकों/किसानों और व्यवसायों को सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से 'सामान्य सेवा वितरण' के माध्यम से अपने इलाके में आम आदमी के लिए 'आम आदमी की

बुनियादी जरूरतों' को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा सभी सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

सामान्य समर्थन बुनियादी ढाँचे की स्थापना, सुशासन, केंद्रित पहल और विकेंद्रित कार्यान्वयन, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी), राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम दृष्टिकोण आदि योजना के प्रमुख तत्त्व हैं।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ वी वाई) :

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2017–18 में आरम्भ की गई थी।, परन्तु 2019–20 में इसे बंद करना पड़ा। अब यह योजना पुनः खरीफ 2021 से रबी 2023–24 तक जम्मू संभाग में जम्मू, साम्बा, उधमपुर और कश्मीर संभाग के अनंतनाग ज़िले में चलाई जा रही है। अधिसूचित फसलों में जम्मू संभाग में धान, मक्का एवं गेहूँ हैं व कश्मीर संभाग में धान, मक्का और तिलहन की फसलें हैं। साम्बा, उधमपुर और अनंतनाग में इस योजना को RGICL व जम्मू ज़िले को IFFCO TOKIO कार्यान्वित कर रही है।

यह योजना 18 फरवरी 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की उपज की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी। यह योजना दोनों कर्ज़दार और गै़र कर्ज़दार किसानों के लिए स्वैच्छिक रूप में उपलब्ध है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अधिसूचित फसलों के प्राकृतिक आपदाओं मसलन भू–स्खलन, कटाव (धान के इलावा), बादल फटने, प्राकृतिक आग, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ या बीमारियों व कीट–पतंगों से होने वाले नुक्सान की स्थिति में किसानों की ज़रूरी वित्तीय सहायता व सहयोग देना है।

8. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

'आन फार्म जल प्रबंधन' केंद्रीय प्रायोजित योजना के उप घटकों में से एक है। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन के विकल्प के रूप में राज्य में वर्ष 2014–15 के दौरान शुरू किया गया था।

यह योजना मुख्य रूप से कुशल ऑन–फार्म जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों, ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट की स्थापना के माध्यम से कुशल वितरण और वितरण प्रणाली, पानी का संरक्षण खेत ही में, खेत के तालाब और पानी के कुशल उपयोग को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लागत मानदंड और सहायता का प्रतिरूप

1. कृषि मशीनीकरण (SMAM)

कृषि मशीनरी का प्रकार	सहायता का प्रतिरूप			
	प्रति मशीन /उपकरण प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमत्त सब्सिडी	एस.सी/एस.टी/ एस.एफ/एम.एफ और महिलाओं के लिए सहायता का प्रतिरूप	प्रति मशीन /उपकरण प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमत्त सब्सिडी	अन्य लाभार्थी के लिए सहायता का प्रतिरूप
ट्रैक्टर				
(i) ट्रैक्टर 2डब्ल्यूडी (08–20 पीटीओ एचपी) (ii) ट्रैक्टर 4डब्ल्यूडी (08–20 पीटीओ एचपी)	1.75 लाख रुपए	50%	1.75 लाख रुपए	40%
(iii) ट्रैक्टर 2डब्ल्यूडी (20–40 पीटीओ एचपी से ऊपर) (iv) ट्रैक्टर 4डब्ल्यूडी (20–40 पीटीओ एचपी से ऊपर) (v) ट्रैक्टर 2डब्ल्यूडी (40–70 पीटीओ एचपी से ऊपर) (vi) ट्रैक्टर 4डब्ल्यूडी (40–70 पीटीओ एचपी से ऊपर)	2.00 लाख रुपए	50%	2.00 लाख रुपए	40%
पावर टिलर				
(क) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	0.65 लाख रुपए	50%	0.50 लाख रुपए	40%
(ख) पावर टिलर (8 बीएचपी और अधिक)	0.85 लाख रुपए	50%	0.70 लाख रुपए	40%
धान प्रतिरोपक				
(क) सेल्फ प्रोपेल्ड धान प्रतिरोपक (4 पंक्तियाँ)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(ख) 4–8 पंक्तियों से ऊपर	5.00 लाख रुपए	50%	4.00 लाख रुपए	40%
(ग) 8–16 पंक्तियों से ऊपर	8.00 लाख रुपए	50%	6.50 लाख रुपए	40%

स्व चालित मशीनरी				
(क) रीपर कम बाइंडर (3 पहिया)	1.75 लाख रुपए	50%	1.40 लाख रुपए	40%
(ख) रीपर कम बाइंडर (4 पहिया)	2.50 लाख रुपए	50%	2.00 लाख रुपए	40%
(ग) रीपर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(घ) पोस्ट होल डिगर/बरमा	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(ङ) वायवीय/अन्य प्लांटर	0.90 लाख रुपए	50%	0.70 लाख रुपए	40%
स्व चालित विशेष मशीनरी				
(i) ट्रैक ट्रॉली	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%
(ii) नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%
(iii) बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक प्रणाली	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%
(iv) बिजली संचालित बागवानी उपकरण छंटाई के लिए नवोदित, झंझरी, बाल काटना आदि।	0.50 लाख रुपए	50%	0.40 लाख रुपए	40%
ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) चालित उपकरण				
1. भूमि विकास, जुताई और बीज क्यारी तैयार करने के उपकरण				
(i) एमबी हल (ii) डिस्क हल (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) समतल करने वाला ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फरो ओपनर (viii) रिजर (ix) वीड स्लेशर	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(x) फरो ओपनर (xi) बंड फॉर्मर (xii) क्रस्ट ब्रेकर (xiii) रोटोपुडलर (xiv) रोटोकल्टीवेटर (xv) पावर हैरो	0.40 लाख रुपए	50%	0.32 लाख रुपए	40%
(xvi) छैनी हल	0.10 लाख रुपए	50%	0.08 लाख रुपए	40%

2. बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई के उपकरण (20 बीएचपी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले यंत्र) :				
(i) पोस्ट होल डिगर (ii) आलू बोने की मशीन (iii) आलू खोदने वाला उपकरण (iv) मूंगफली खोदने वाला उपकरण (v) स्ट्रिप टिल ड्रिल (5 टाईन) (vi) ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला रीपर/ रीपर कम बाईंडर (vii) प्याज़ हार्वेस्टर (viii) धान पुआल का चॉपर (ix) उठी हुई क्यारियों वाला प्लांटर (x) प्लांटर (5 टाईन) (xi) गन्ना कटर/स्ट्रिपर प्लांटर (5 टाईन) (xii) बहु फसलीय बुआई की मशीन (5 टाईन) (xiii) रिज फरो प्लांटर	0.30 लाख रुपए	50%	0.24 लाख रुपए	40%
(i) न्यूमेटिक प्लांटर (ii) वायवीय सब्ज़ी प्रतिरोपक (iii) वायवीय सब्ज़ी बीजक (iv) प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन (v) ढलानदार प्लेट प्लांटर और शेपर अटैचमेंट सहित उठी हुई क्यारियों वाला प्लांटर (5–7 टाईन)	0.50 लाख रुपए	50%	0.40 लाख रुपए	40%
(i) बीज उपचार ड्रम (ii) बीज तथा उर्वरक ड्रिल (5 टाईन) (iii) एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (5–7 टाईन)	0.15 लाख रुपए	50%	0.12 लाख रुपए	40%
3. अंतर खेती के उपकरण :				
(i) ग्रास वीड स्लेशर (ii) पावर वीडर	0.25 लाख रुपए	50%	0.20 लाख रुपए	40%
4. अवशेष प्रबंधन/घास और चारे के लिए उपकरण :				
(i) गन्ना थ्रैश कटर (ii) नारियल फ्रॉंड चॉपर (iii) स्ट्रॉ रीपर (iv) स्टबल शेवर	0.25 लाख रुपए	50%	0.20 लाख रुपए	40%

5. हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग उपकरण (3 एचपी से कम इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित अथवा 20 बीएचपी से कम के पावर टिलर और ट्रैक्टर द्वारा संचालित :				
(i) ग्राउंड नट पॉड स्ट्रिपर (ii) थ्रैशर (iii) बहु फसल थ्रैशर (iv) धान थ्रैशर (v) ब्रश कटर (vi) विनोइंग फैन (vii) मक्का शैलर (viii) घास काटने की मशीन (ix) फ्लेल हार्वेस्टर घास काटने की मशीन (सभी उद्देश्य/सभी फसलें)	0.30 लाख रुपए	50%	0.25 लाख रुपए	40%
6. चैफ कटर (3 एचपी से कम इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर और पावर टिलर द्वारा संचालित अथवा 20 बीएचपी से कम के ट्रैक्टर द्वारा संचालित	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
20 से 30 बीएचपी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर द्वारा चालित उपकरण :				
ए. भूमि विकास, जुताई और बीज क्यारी तैयार करने के उपकरण :				
(i) एमबी हल (ii) डिस्क हल (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) समतल करने वाला ब्लेड (vi) पिंजरे का पहिया (vii) फरो ओपनर (viii) रिजर (ix) वीड स्लेशर	0.30 लाख रुपए	50%	0.25 लाख रुपए	40%
(x) रोटो पॅडलर (xi) फरो ओपनर (xii) बंड फॉर्मर (xiii) क्रस्ट ब्रेकर (xiv) रोटोकल्टीवेटर (xv) पावर हैरो	0.60 लाख रुपए	50%	0.50 लाख रुपए	40%
(xvi) रोटावेटर 5 फीट	0.35 लाख रुपए	50%	0.28 लाख रुपए	40%
(xvii) छेनी हल	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(xviii) प्रतिवर्ती हाइड्रोलिक हल (2 तल)	0.70 लाख रुपए	50%	0.56 लाख रुपए	40%
(xviv) प्रतिवर्ती यांत्रिक हल (2 तल)	0.40 लाख रुपए	50%	0.32 लाख रुपए	40%
(xx) लेज़र लैंड लेवलर	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%

बी. बुवाई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण :				
(i) पोस्ट होल डिगर (ii) आलू बोने की मशीन (iii) आलू खोदने वाला उपकरण (iv) मूंगफली खोदने वाला उपकरण (v) ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला रीपर (vi) प्याज़ हार्वेस्टर (vii) उठी क्यारियों वाला बेड प्लांटर (viii) गन्ना कटर/स्ट्रिपर (ix) विभिन्न फसल बोने वाला उपकरण (x) रिज फरो प्लांटर	0.40 लाख रुपए	50%	0.32 लाख रुपए	40%
(i) सीड ड्रिल (7 टाईन) (ii) ज़ीरो–टिल मल्टी क्रॉप (7 टाईन) (iii) बीज उपचार ड्रम (iv) बीज तथा उर्वरक ड्रिल (7 टाईन)	0.18 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(i) डायरेक्ट राईस सीडर	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(i) न्यूमेटिक प्लांटर (ii) न्यूमेटिक वेजिटेबल ट्रांस प्लांटर (iii) वायवीय सब्ज़ी बीजक (iv) प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन (v) एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (9 टाईन) (vi) ढलानदार प्लेट प्लांटर और शेपर अटैचमेंट सहित उठी हुई क्यारियों वाला प्लांटर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(i) हैप्पी/टर्बो सीडर	0.728 लाख रुपए	50%	0.582 लाख रुपए	40%
सी. अंतर कृषि उपकरण :				
(i) ग्रास वीड स्लेशर (ii) पावर वीडर	0.35 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
डी. अवशेष प्रबंधन/घास और चारा एवं परिवहन के लिए उपकरण :				
(i) गन्ना थ्रैश कटर	0.40 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(ii) कोकोनट फ्रांड चॉपर	0.40 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(iii) रेक (कम क्षमता)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%

(iv) बेलर (गोल) (14 कि.ग्रा. से कम भार वाले गटठे)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(v) स्ट्रॉ रीपर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(vi) फीड ब्लॉक मशीन (100–200 कि.ग्रा./प्रति घंटा)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(vii) स्टबल शेवर	0.40 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(viii) स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर माउंटेड टाइप 5 फीट	0.672 लाख रुपए	50%	0.538 लाख रुपए	40%
(ix) ट्रेलर/ट्रॉली (3 टन क्षमता तक)	0.60 लाख रुपए	50%	0.50 लाख रुपए	40%
(x) ट्रेलर/ट्रॉली (5 टन क्षमता तक)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xi) नैरो रियर रिम (01 जोड़ी) ट्रैक्टर के लिए	0.07 लाख रुपए	50%	0.056 लाख रुपए	40%
ई. हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग उपकरण (5 बीएचपी से कम के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित अथवा 35 बीएचपी से कम के पावर टिलर या ट्रैक्टर द्वारा संचालित) :				
(i) ग्राउंड नट पॉड स्ट्रिपर (ii) थ्रैशर (iii) बहु–फसल थ्रैशर (iv) धान थ्रैशर (v) ब्रश कटर (vi) मक्का शेलर (vii) घास माटने की मशीन (viii) फ्लेल हार्वेस्टर (ix) घास काटने की मशीन (सभी उद्देश्य/सभी फसलें)	0.40 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(x) फसल कटाई एवं बाइंडर मशीन (ट्रैक्टर से खींची जाने वाली)	1.25 लाख रुपए	50%	1.00 लाख रुपए	40%
एफ. भूसा कटर (3–5 एचपी से ऊपर के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित अथवा 35 बीएचपी से कम के पावर टिलर और ट्रैक्टर द्वारा संचालित	0.28 लाख रुपए	50%	0.22 लाख रुपए	40%
ए. 35 एच.पी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों से संचालित मशीनरी				
(i) एम.बी हल (ii) डिस्क हल				

(iii)	कल्टीवेटर	0.50 लाख रुपए	50%	0.40 लाख रुपए	40%
(iv)	हैरो				
(v)	लेवलर ब्लेड				
(vi)	केज व्हील				
(vii)	फरो ओपनर				
(viii)	रिजर				
(ix)	लेज़र लैंड लेवलर	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%
(x)	रोटावेटर				
(a)	5 फीट	0.42 लाख रुपए	50%	0.34 लाख रुपए	40%
(b)	6 फीट	0.448 लाख रुपए	50%	0.358 लाख रुपए	40%
(c)	7 फीट	0.476 लाख रुपए	50%	0.381 लाख रुपए	40%
(d)	8 फीट	0.504 लाख रुपए	50%	0.403 लाख रुपए	40%
(xi)	रोटो–पडलर	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%
(xii)	प्रतिवर्ती हाइड्रोलिक हल (2 तल)	0.70 लाख रुपए	50%	0.56 लाख रुपए	40%
(xiii)	प्रतिवर्ती हाइड्रोलिक हल (3 तल)	0.895 लाख रुपए	50%	0.716 लाख रुपए	40%
(xiv)	प्रतिवर्ती यांत्रिक हल (2 तल)	0.40 लाख रुपए	50%	0.32 लाख रुपए	40%
(xv)	प्रतिवर्ती यांत्रिक हल (3 तल)	0.50 लाख रुपए	50%	0.40 लाख रुपए	40%
(xvi)	सब–सॉइलर	0.55 लाख रुपए	50%	0.45 लाख रुपए	40%
(xvii)	ट्रेंच मेकर (पीटीओ संचालित)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(xviii)	बंड फॉर्मर (पीटीओ संचालित)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(xix)	बैकहो लोडर डोज़र (ट्रैक्टर संचालित)	3.50 लाख रुपए	50%	2.80 लाख रुपए	40%
(xx)	फरो ओपनर	0.30 लाख रुपए	50%	0.25 लाख रुपए	40%
(xxi)	बंड फॉर्मर	0.30 लाख रुपए	50%	0.25 लाख रुपए	40%
(xxii)	क्रस्ट ब्रेकर	0.35 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(xxiii)	रोटो कल्टीवेटर	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%
(xxiv)	पावर हैरो (पीटीओ संचालित)	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%
बी. बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई के उपकरण (35 बी.एच.पी से ऊपर के ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण) :					
(i)	उठी हुई क्यारियों का प्लांटर	0.35 लाख रुपए	50%	0.30 लाख रुपए	40%
(ii)	सीड ड्रिल/ज़ीरो टिल सीड ड्रिल (9 टाईन से ऊपर)	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(iii)	आलू खोदने वाला यंत्र	0.40 लाख रुपए	50%	0.35 लाख रुपए	40%
(iv)	ट्रैक्टर से संचालित रीपर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(v)	प्याज़ हार्वेस्टर	0.80 लाख रुपए	50%	0.65 लाख रुपए	40%

(vi)	सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल/ज़ीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल				
(a)	9 टाईन	0.213 लाख रुपए	50%	0.170 लाख रुपए	40%
(b)	11 टाईन	0.241 लाख रुपए	50%	0.193 लाख रुपए	40%
(c)	13 टाईन	0.269 लाख रुपए	50%	0.215 लाख रुपए	40%
(d)	15 टाईन	0.280 लाख रुपए	50%	0.224 लाख रुपए	40%
(vii)	डायरेक्ट राइस सीडर (डी.आर.एस)	0.20 लाख रुपए	50%	0.16 लाख रुपए	40%
(viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv)	पोस्ट होल डिगर आलू बुआई की मशीन (स्वचालित) मूंगफली खोदने वाला उपकरण गन्ना कटर/ट्रिपर/प्लांटर बहु फसल बोने की मशीन ज़ीरो–टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर रिज फरो प्लांटर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xv)	हैप्पी/टर्बो सीडर (9 टाईन)	0.728 लाख रुपए	50%	0.582 लाख रुपए	40%
(xvi)	हैप्पी/टर्बो सीडर (10 टाईन)	0.756 लाख रुपए	50%	0.605 लाख रुपए	40%
(xvii)	हैप्पी/टर्बो सीडर (11 टाईन)	0.784 लाख रुपए	50%	0.627 लाख रुपए	40%
(xviii)	सुपर सीडर	1.05 लाख रुपए	50%	0.84 लाख रुपए	40%
(xix) (xx) (xxi)	न्यूमेटिक प्लांटर वायवीय सब्ज़ी प्रत्यारोपक वायवीय सब्ज़ी बीजक	2.25 लाख रुपए	50%	1.80 लाख रुपए	40%
(xxii)	कसावा प्लांटर (9 टाईन से ऊपर)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xxiii)	खाद छिड़कने वाला यंत्र	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xxiv)	उर्वरक छिड़कने वाला यंत्र (पी.टी.ओ संचालित)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xxv)	प्लास्टिक मल्व बिछाने की मशीन	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(xxvi)	स्वचालित धान पनीरी बुवाई मशीनरी	1.75 लाख रुपए	50%	1.40 लाख रुपए	40%
(xxvii)	एक्वा फर्टी सीड ड्रिल (9 टाईन से ऊपर)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%

(xxviii) ढलानदार प्लेट प्लांटर और शेपर अटैचमेंट सहित उठी हुई क्यारियों वाला प्लांटर	0.90 लाख रुपए	50%	0.70 लाख रुपए	40%
(xxix) बैटरी संचालित उर्वरक छिड़कने वाला यंत्र (3–5 लीटर क्षमता वाला)	0.031 लाख रुपए	50%	0.025 लाख रुपए	40%
सी. अंतर खेती के उपकरण :				
(i) घास/खरपतवार स्लेशर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(ii) वीडर (पी.टी.ओ संचालित)	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
डी. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग उपकरण (5 एच.पी से ऊपर के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर और 35 बी.एच.पी से ऊपर के ट्रैक्टर द्वारा संचालित) :				
(i) ग्राउंड नट पॉड स्ट्रिपर (ii) 4 टन/प्रति घंटा क्षमता तक के थ्रेशर/बहु फसल थ्रेशर (iii) भूसा कटर (iv) धान थ्रेशर (v) चारा हार्वेस्टर (vi) मक्का शेलर	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%
(vii) क्रॉप रीपर कम बाइंडर (ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला)	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(viii) कम्बाइन हार्वेस्टर (स्वचालित, 14 फीट कटर बार तक)	8.00 लाख रुपए	50%	6.40 लाख रुपए	40%
(ix) कम्बाइन हार्वेस्टर (टैक्टर चालित) (बिना ट्रैक्टर, 10 फीट कटर बार तक)	3.00 लाख रुपए	50%	2.40 लाख रुपए	40%
(x) कम्बाइन हार्वेस्टर, (ट्रैक 6–8 फीट कटर बार)	11.00 लाख रुपए	50%	8.80 लाख रुपए	40%
(xi) कम्बाइन हार्वेस्टर (ट्रैक 6 फीट कटर बार के नीचे)	7.00 लाख रुपए	50%	5.60 लाख रुपए	40%
(xii) 4 टन/प्रति घंटा क्षमता से अधिक थ्रेशर/बहु फसल थ्रेशर	2.50 लाख रुपए	50%	2.00 लाख रुपए	40%
(xiii) इन्फील्डर	0.63 लाख रुपए	50%	0.50 लाख रुपए	40%
(xiv) घास काटने की मशीन (xv) फ्लेल हार्वेस्टर	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%

(xvi) घास काटने की मशीन (सभी उद्देश्य/सभी फसलों के लिए उपकरण)	1.00 लाख रुपए	50%	0.80 लाख रुपए	40%
ई. अवशेष प्रबंधन/घास और चारा प्रबंधन के लिए उपकरण :				
(i) कोकोनट फ्रांड चॉपर	0.63 लाख रुपए	50%	0.50 लाख रुपए	40%
(ii) हे रेक	1.50 लाख रुपए	50%	1.20 लाख रुपए	40%
(iii) बेलर (गोल) (14–16 कि.ग्रा. प्रति गट्ठर)	2.00 लाख रुपए	50%	1.60 लाख रुपए	40%
(iv) बेलर (गोल) (16–25 कि.ग्रा. प्रति गट्ठर से ऊपर)	5.50 लाख रुपए	50%	4.40 लाख रुपए	40%
(v) बेलर (गोल) (180–200 कि.ग्रा. प्रति गट्ठर)	9.00 लाख रुपए	50%	7.20 लाख रुपए	40%
(vi) बेलर (आयताकार) (18–20 कि.ग्रा. प्रति गट्ठर)	6.00 लाख रुपए	50%	4.80 लाख रुपए	40%
(vii) लकड़ी के टुकड़े काटने वाला यंत्र	1.25 लाख रुपए	50%	1.00 लाख रुपए	40%
(viii) गन्ना पेड़ी प्रबंधक	1.25 लाख रुपए	50%	1.00 लाख रुपए	40%
(ix) कपास का डंठल उखाड़ने वाला यंत्र	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
(x) स्ट्रॉ रीपर	1.30 लाख रुपए	50%	1.04 लाख रुपए	40%
(xi) फीड ब्लॉक मशीन (200 कि.ग्रा/प्रति घंटा से अधिक)	3.00 लाख रुपए	50%	2.40 लाख रुपए	40%
(xii) स्टबल शेवर	0.80 लाख रुपए	50%	0.64 लाख रुपए	40%
(xiii) स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर				
(a) माउंटेड टाइप 5 फीट	0.672 लाख रुपए	50%	0.538 लाख रुपए	40%
(b) माउंटेड टाइप 6 फीट	0.728 लाख रुपए	50%	0.582 लाख रुपए	40%
(c) माउंटेड टाइप 7 फीट	0.784 लाख रुपए	50%	0.627 लाख रुपए	40%
(d) माउंटेड टाइप 8 फीट	0.840 लाख रुपए	50%	0.672 लाख रुपए	40%
(e) ट्रेल्ड टाइप	1.26 लाख रुपए	50%	1.01 लाख रुपए	40%
(f) कॉम्बो टाइप	1.40 लाख रुपए	50%	1.12 लाख रुपए	40%
(xiv) सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन सिस्टम (सुपर एस.एम.एस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़ा जाने वाला	0.56 लाख रुपए	50%	0.45 लाख रुपए	40%

(xv)	श्रब मास्टर/कटर तथा स्प्रेडर	0.25 लाख रुपए	50%	0.18 लाख रुपए	40%
(xvi)	रोटरी स्ट्रॉ स्लेशर	0.25 लाख रुपए	50%	0.18 लाख रुपए	40%
(xvii)	ब्रिकेट बनाने की मशीन (100 कि.ग्रा. प्रति घंटा क्षमता वाली)	2.90 लाख रुपए	50%	2.32 लाख रुपए	40%
(xviii)	ब्रिकेट बनाने की मशीन (500–1000 कि.ग्रा./प्रति घंटा क्षमता वाली)	5.00 लाख रुपए	50%	4.00 लाख रुपए	40%
सभी मैनुअल/जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण/औज़ार : ए. भूमि विकास, जुताई और बीज क्यारी तैयार करने के उपकरण :					
(i)	एमबी हल	0.10 लाख रुपए	50%	0.08 लाख रुपए	40%
(ii)	डिस्क हल				
(iii)	कल्टीवेटर				
(iv)	हैरो				
(v)	लेवलर ब्लेड				
(vi)	फरो ओपनर				
(vii)	रिजर				
(viii)	पडलर				
बी. बुआई और रोपण उपकरण :					
(i)	धान बोले वाला यंत्र	0.10 लाख रुपए	50%	0.08 लाख रुपए	40%
(ii)	बीज सह उर्वरक ड्रिल				
(iii)	उठी हुई क्यारियों का प्लांटर				
(iv)	प्लांटर				
(v)	डिब्बलर				
(vi)	धान की पनीरी उगाने के लिए उपकरण				
(vii)	एस.आर.आई के लिए मार्कर				
(viii)	बीज उपचार ड्रम				
(ix)	धान–गेहूँ बीजक				
(x)	ड्रम सीडर (4 पंक्ति से कम)	0.03 लाख रुपए	50%	0.025 लाख रुपए	40%
(xi)	ड्रम सीडर (4 पंक्ति से अधिक)	0.04 लाख रुपए	50%	0.030 लाख रुपए	40%
(xii)	हस्तचालित उर्वरक स्प्रेडर/ब्रोडकास्टर	0.0075 लाख रुपए	50%	0.006 लाख रुपए	40%

सी. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग उपकरण :				
(i) ग्राउंडनट पॉड स्ट्रिपर (ii) थ्रेशर (iii) विनोइंग फैन (iv) ट्री क्लाईम्बर (v) बागवानी के हाथ उपकरण (vi) मक्का शेलर (vii) फीड ब्लॉक मशीन (viii) स्पाईरल ग्रेडर	0.10 लाख रुपए	50%	0.08 लाख रुपए	40%
(ix) भूसा कटर (3 फीट तक)	0.05 लाख रुपए	50%	0.04 लाख रुपए	40%
(x) भूसा कटर (3 फीट से अधिक)	0.063 लाख रुपए	50%	0.05 लाख रुपए	40%
डी. अंतर खेती के उपकरण :				
(i) ग्रास वीड स्लेशर (ii) वीडर (iii) कोनोवीडर (iv) बाग के हाथ उपकरण	0.012 लाख रुपए	50%	0.010 लाख रुपए	40%
बागवानी/फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी उपकरण : **स्वचालित/अन्य विद्युत चालित बागवानी मशीनरी :**				
चेन–सॉ/व्हील बैरो/मैंगो ग्रेडर/प्लांटर और अन्य उपयुक्त स्व–चालित औज़ार फसलों के लिए मशीनें और उपकरण	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
मैनुअल बागवानी उपकरण				
(i) एल्यूमिनियम सीढ़ी/सीढ़ी (ii) एल्यूमिनियम पोल (iii) प्लकर	0.15 लाख रुपए	50%	0.12 लाख रुपए	40%
कटाई उपरांत खाद्यान्न, तिलहन और बागवानी के लिए उपकरण				
उत्पादन क्षेत्रों में उप–उत्पाद प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन, कम लागत वाले वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग इकाईयों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए पी.एच.टी इकाईयों की स्थापना।				
(i) मिनी राइस मिल	2.40 लाख रुपए	60%	2.00 लाख रुपए	50%
(ii) मिनी दाल मिल	1.50 लाख रुपए	60%	1.25 लाख रुपए	50%
(iii) बाजरा मिल	5.40 लाख रुपए	60%	4.50 लाख रुपए	50%

(iv) फिल्टर प्रेस के साथ तेल मिल (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसल के लिए)	3.00 लाख रुपए	60%	2.50 लाख रुपए	50%
(v) एक्सट्रैक्टर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसल के लिए)	1.80 लाख रुपए	60%	1.50 लाख रुपए	50%
(vi) अनार एरिल एक्सट्रैक्टर	1.80 लाख रुपए	60%	1.50 लाख रुपए	50%
(vii) कस्टर्ड एप्पल पल्पर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसल के लिए	1.80 लाख रुपए	60%	1.50 लाख रुपए	50%
(vii) डिहाईड्रेशन यूनिट/प्रिकिंग मशीन/ह्यूमिडिफायर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	1.80 लाख रुपए	60%	1.50 लाख रुपए	50%
(ix) पैकिंग मशीन (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	3.00 लाख रुपए	60%	2.40 लाख रुपए	50%
(x) सभी प्रकार के बिजली से चलने वाले डिहस्कर/शेलर/थ्रेशर/हार्वेस्टर/डी–स्पाईकिंग/डिकॉर्निंग मशीन/पीलर/स्प्लिटर/स्ट्रिपर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	0.75 लाख रुपए	60%	0.60 लाख रुपए	50%
(xi) सभी प्रकार के बॉयलर/स्टीमर/ड्रायर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	1.00 लाख रुपए	60%	0.80 लाख रुपए	50%
(xii) लगभग 400 से 1000 वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र के साथ सभी प्रकार के सोलर ड्रायर (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	3.50 लाख रुपए	60%	3.00 लाख रुपए	50%
(xiii) सभी प्रकार की वॉशिंग मशीनें (सभी प्रकार की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	0.60 लाख रुपए	60%	0.50 लाख रुपए	50%

(xiv) सभी प्रकार के ग्राइंडर/पुलवेराइज़र/ पॉलिशर (सभी प्रकार की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	0.60 लाख रुपए	60%	0.50 लाख रुपए	50%
(xv) सभी प्रकार के क्लीनर–कम–ग्रेडर/ ग्रेडिएंट सेपरेटर/विशिष्ट गुरुत्व विभाजक (सभी प्रकार की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन फसलों के लिए)	1.00 लाख रुपए	60%	0.80 लाख रुपए	40%
पौध संरक्षण उपकरण :				
(ए) मैनुअल स्प्रेयर : नैपसेक/पैर/बैटरी संचालित स्प्रेयर।	0.0075 लाख रुपए	50%	0.006 लाख रुपए	40%
(बी) बिजली संचालित नैपसेक स्प्रेयर/ बिजली संचालित स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर)	0.031 लाख रुपए	50%	0.025 लाख रुपए	40%
(सी) बिजली संचालित नैपसेक स्प्रेयर/ बिजली संचालित स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक क्षमता)	0.10 लाख रुपए	50%	0.08 लाख रुपए	40%
(डी) ट्रैक्टर संचालित स्प्रेयर (एयर कैरियर/सहायता प्राप्त)	1.25 लाख रुपए	50%	1.00 लाख रुपए	40%
(ई) ट्रैक्टर संचालित स्प्रेयर (बूम प्रकार)	0.37 लाख रुपए	50%	0.28 लाख रुपए	40%
(एफ) इको–फ्रेंडली लाइट ट्रैप	0.015 लाख रुपए	50%	0.012 लाख रुपए	40%
(जी) ट्रैक्टर संचालित इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर	2.50 लाख रुपए	50%	2.00 लाख रुपए	40%
(एच) बर्ड स्कारर	0.75 लाख रुपए	50%	0.60 लाख रुपए	40%
विशिष्ट कृषि मशीनरी :				
(ए) सौर संचालित/बिजली संचालित पशु निवारक जैव ध्वनिक उपकरण (सौर पैनल के साथ)	0.35 लाख रुपए	50%	0.28 लाख रुपए	40%
(बी) सौर संचालित/विद्युत संचालित पशु निवारक जैव ध्वनिक उपकरण (सौर पैनल के बिना)	0.25 लाख रुपए	50%	0.20 लाख रुपए	40%

(सी) फसलों की नर्सरी के लिए सौर संचालित/विद्युत संचालित हाइड्रोपोनिक मशीन (500 कि.ग्रा. से कम क्षमता वाली)	3.00 लाख रुपए	50%	2.40 लाख रुपए	40%
(डी) फसलों की नर्सरी के लिए सौर संचालित/विद्युत संचालित हाइड्रोपोनिक मशीन (500 कि.ग्रा. से अधिक क्षमता वाली)	6.00 लाख रुपए	50%	4.80 लाख रुपए	40%

2. मृदा सुधार के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता के लिए मानदंड/ अधिकतम सीमा	योजना/घटक
1	सूक्ष्म पोषक तत्त्वों और मृदा सुधारकों का वितरण	2500/– रुपए प्रति हेक्टेयर	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
(a)	जिप्सम फॉस्फोज़िप्सम/ बेंटोनाइट सल्फर की आपूर्ति। (गेहूँ और दलहन)	सामग्री और परिवहन की 50% लागत अथवा 750/– रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) बी जी आर ई आई
2	पौध संरक्षण रसायन	कीटनाशक, कवकनाशी, जैव–कीटनाशक, जैव–एजेंट, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, जैव–उर्वरक आदि, लागत का 50%/500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और पाम तेल)/ एन एफ एस एम और बी जी आर ई आई
3	जैविक खेती को अपनाना	3 वर्ष की अवधि में फैले 4 हेक्ट० प्रति लाभार्थी के अधिकतम क्षेत्र के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जिसमें प्रथम वर्ष में 4000 रुपये और दूसरे और तीसरे वर्ष में 3000 रुपये की सहायता शामिल है	राष्ट्रीय बागवानी मिशन एन एच एम/ एम आई डी एच के तहत उप योजनाएँ
4	वर्मी–कम्पोस्ट यूनिट (स्थायी संरचना का आयाम जिस पर प्रशासित किया जाना है)	50,000/– रुपये प्रति यूनिट (30 फीट × 8 फीट × 2.5 फीट या 600 घन फीट के आयाम वाले (अनुपात के आधार पर)	एम आई डी एच के अंतर्गत एन एच एम उप योजनाएँ

5	उच्च घनत्व पॉली एथिलीन (एच.डी.पी.ई) वर्मी बेड	8000 रुपये प्रति यूनिट (12 फीट× 4 फीट ×2 फीट या 96 घन फीट के आयाम वाले आनुपातिक आधार पर और 15907 : 2010 पर प्रशासित होने के लिए)	एम आई डी एच के अंतर्गत एन एच एम उप योजनाएँ
6	एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन को बढ़ावा देना	1200/– प्रति हेक्टेयर (4 हेक्येटर क्षेत्र तक)	एम आई डी एच के अंतर्गत एन एच एम उप योजनाएँ
7	जिप्सम फॉस्फोजि़प्सम/ बेंटोनाइट सल्फर की आपूर्ति (गेहूँ और दलहन)	लागत का 50% अथवा 750 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम, बी जी आर ई आई)
8	सूक्ष्म पोषक तत्त्व (चावल, गेहूँ, दलहन और पोषक अनाज)	लागत का 50% अथवा 500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	एन.एफ.एस.एम, बी जी आर ई आई
9	चूना/चूना सामग्री (चावल, और दालें)	सामग्री की लागत का 50%, 1000 रुपये/हेक्टेयर तक सीमित।	एन एफ एस एम, बी.जी.आर,ई.आई
10	जैव उर्वरक (दलहन पोषक अनाज)	लागत का 50%, 300 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	एन एफ एस एम, बी जी आर ई आई
11	नई मोबाइल/स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (MSTL'SSTL) की स्थापना और प्रशिक्षण	व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों के लिए कुल परियोजना लागत का 33%, या अधिकतम 25 लाख रुपये/ प्रयोगशाला तक सीमित जिसकी विश्लेषण क्षमता 10,000 नमूने/ वर्ष की हो।	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एम एस ए)
12	अत्याधुनिक तरल/वाहक आधरित जैव उर्वरक/जैव उर्वरक/जैव कीटनाशक इकाईयों की स्थापना	व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों के लिए कुल परियोजना लागत का 25%, अथवा रु० 40 लाख प्रति इकाई तक सीमित, नाबार्ड के माध्यम से पूंजी निवेश के रूप में।	(एन एम एस ए)

13	समस्या वाली मिट्टी का सुधार	क्षारीय/लवणीय मिट्टी के लिए – 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अम्लीय मिट्टी के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर	समस्या मिट्टी (आर पी एस) के सुधार पर आर के वी वाई की उप योजना
14	आई सी ए आर द्वारा विकसित सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों के लिए 3000 टी पी ए की क्षमता की इकाई के लिए लागत का 44% या रु. 44000/प्रयोगशाला का पूंजी निवेश के रूप में नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा।	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
15	ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजना की स्थापना	लागत का 75% अथवा 3,75,000 रुपये/लैब में से जो भी कम हो	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
3. बीज हेतु सहायता			
क्र.सं.	**सहायता का प्रकार**	**सहायता के लिए मानदंड/ अधिकतम सीमा**	**योजना/घटक**
A बीज वितरण के हेतु सहायता			
1 (i)	संकर बीज – (चावल)	लागत का 50% अथवा 10,000 रुपये/क्विंटल तक सीमित।	बी जी आर ई आई
(ii)	एच वाई वी का प्रमाणित बीज – (चावल और गेहूँ)	लागत का 50% अथवा 10 वर्ष से अधिक आयु की किस्मों के लिए 1000 रु/क्विंटल तक सीमित और 10 वर्ष से कम उम्र की किस्मों के लिए 2000 रुपये/क्विंटल तक सीमित	बी जी आर ई आई
2	बीजों का वितरण (क) एच वाई वी बीज 1) चावल और गेहूँ	-10 रुपये प्रति कि.ग्रा. या लागत का 50%, जो भी कम हो, 10 वर्षों से अधिक आयु की किस्मों के लिए -20 रुपये प्रति कि.ग्रा. या लागत का 50% जो भी कम हो 10 वर्षों से कम आयु वाली किस्मों के लिए,	एन एफ एस एम

	2) मोटे अनाज	- 15 रुपये प्रति किलो या लागत का 50% जो भी कम हो 10 वर्ष से अधिक आयु की किस्मों के लिए। - 30 रुपये प्रति कि.ग्रा. या लागत का 50%, जो भी कम हो, 10 वर्ष से कम आयु की किस्मों के लिए	एन एफ एस एम
	3) दलहन	- 25 रुपये/किलो या लागत का 50% जो भी कम हो 10 वर्षों से अधिक आयु की किस्मों के लिए प्रति कि.ग्रा. - 50 रुपये प्रति कि.ग्रा. या लागत का 50% जो भी कम हो 10 वर्षों से कम आयु की किस्मों के लिए	एन एफ एस एम एन एफ एस एम
	(ख) संकर बीज 1) चावल 2) मोटे अनाज	-100 रुपये प्रति किलो या लागत का 50% जो भी कम हो -100 रुपये प्रति किलो या लागत का 50% जो भी कम हो	एन एफ एस एम
3	तिलहन (मूंगफली/सोया–बीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, नाइजर, सरसों, रेपसीड, अलसी और अरंडी)	तिल को छोड़कर बाकी तिलहन की 15 वर्ष तक की आयु की किस्मों की लागत का 50% अथवा 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक सीमित है।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और तेल पाम)
4	ताड़ के तेल हेतु बीज बोने की क्रिया	किसानों की सम्पूर्ण भूमि जोत/रोपण क्षेत्र के लिए लागत का 85% या रुपये 12000/हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और तेल पाम)
5	हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (भारत सरकार 90 प्रतिशत व राज्य सरकार की 10 प्रति० भागीदारी) गुणवत्ता वाले	प्रति खेत एक एकड़ क्षेत्र के लिए आवश्यक अनाज के बीज की लागत का 50%, तिलहन, दलहन, चारा, हरी खाद फसलों आदि के बीज की लागत का 60%	घटक बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस एम एस पी) पर उप मिशन

	बीजों व खेतों में बचाए गए बीजों को गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सभी प्रकार की फसलों के फाऊंडेशन व प्रमाणित बीजों का वितरण		
6	हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार की हिस्सेदारी 90% है और इन राज्यों की हिस्सेदारी 10% है। किसानों, एस एच जी, एफ पी ओ आदि के लिए तिलहन, दलहन, चारा और हरी खाद फसलों आदि के फाऊंडेशन/प्रमाणित बीजों का वितरण	तिलहन, दलहन, चारा, हरी खाद फसलों आदि के बीज की लागत का 75% दिया जाएगा।	बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
7	ताड़ के तेल की खेती के लिए/रखरखाव खर्चों/गार्भ अवधि तक रखरखाव के लिए सहायता	चार वर्षों के अंतराल में खेती लागत का 50%, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है/5000 रुपये हेक्टेयर/वर्ष कुल 25 हेक्टेयर तक।	बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
8	संकर सब्ज़ियों का उत्पादन	50% या 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	एम आई डी एच
9	भा कृ अनु प और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से तिलहन के प्रजनक बीजों की खरीद	डी ए सी एंड एफ डब्ल्यू, बीज प्रभाग और भा कृ अनु प द्वारा निर्धारित ब्रीडर बीजों की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन बीज तेल पाम)

बी. फाऊंडेशन और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए सहायता

10	(i) संकर बीज – धान (ii) एच वाई पी का प्रमाणित बीज – चावल आौर गेहूँ	लागत का 50% अथवा 10,000 रुपये/क्विंटल की अधिकतम सीमा तक सीमित। लागत का 50% अथवा 2,000 रुपये/क्विंटल की अधिकतम सीमा तक सीमित।	बी जी आर ई आई
11	दलहन, (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, टर, चना, राजमाश और मोठ)	एच वाई वी की दस साल तक पुरानी किस्मों के लिए 50 रुपये/प्रति किलो या लागत का 50%, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)
12	पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी) और अन्य छोटे अनाज (स्माल मिलेट्स)	3000 रुपये प्रति क्विंटल 10 वर्ष से कम आयु की किस्मों के लिए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)
13	निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता जिसमें व्यक्तिगत/उद्यमी, स्वयं सहायता समूह आदि शामिल हैं।	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 40% की दर से क्रेडिट–लिंक्ड बैंक–एंडेड पूंजीगत सब्सिडी और पहाड़ी क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से प्रति परियोजना 150 लाख रुपये की ऊपरी सीमा	निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस एम एस पी) पर उप मिशन
सी. सभी तिलहन फसलों के लिए			
14	आधार बीज के उत्पादन के लिए सहायता	पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिए 2500/– रुपये प्रति क्विंटल और पिछले पाँच वर्षों में जारी हुई किस्मों पर 100/– प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन बीज तेल पाम)

15	प्रमाणित बीजों का उत्पादन	पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिए 2500/– रुपये प्रति क्विंटल और पिछले पाँच वर्षों में जारी हुई किस्मों पर 100/– प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन बीज तेल पाम)
16	बीज अवसंरचना विकास	बीज आधारिक संरचना के निर्माण के लिए सहायता जिसमें थ्रेशिंग फ्लोर, डीह्यूमिडिफिकेशन के प्रावधान के साथ बीज भंडारण गोदाम, नलकूप/बोरवेल, मोटर पंप,, स्प्रिंकलर, ड्रिप को छोड़कर चैनल की लाइनिंग, खेत को समतल करने, बाड़ लगाने सहित खेतों, कार्यालय भवन के विद्युतिकरण, कृषि मशीनरी आदि के लिए 50% तक सहायता	बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दलहन, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
17 (a)	बीज अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण (केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए) बीज प्रसंस्करण सुविधाएँ	(100% भारत सरकार का हिस्सा) 1–बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना। अनुदान सहायता 1000 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन, 3000 मीट्रिक टन और 5000 मीट्रिक टन (वार्षिक क्षमता बीज प्रसंस्करण क्षमता संयंत्र गेहूँ; आधार) के मॉडयूलर डिज़ाइन के अनुसार उपलब्ध है। सहायता निम्नलिखित दर पर उपलब्ध होगी:	बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन (एस एम एस पी)

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>मदें</th><th>वार्षिक क्षमता (मी.ट.)</th><th>1000 मी.ट.</th><th>2000 मी.ट.</th><th>3000 मी.ट.</th><th>4000 मी.ट.</th><th>5000 मी.ट.</th></tr>
<tr><td>मुख्य उपकरण आदि</td><td>रु. लाख में</td><td>27.90</td><td>32.90</td><td>47.10</td><td>56.20</td><td>62.80</td></tr>
<tr><td>सहायक उपकरण आदि</td><td>रु. लाख में</td><td>9.90</td><td>10.10</td><td>13.90</td><td>20.70</td><td>21.30</td></tr>
<tr><td>कुल लागत</td><td>रु. लाख में</td><td>37.80</td><td>43-00</td><td>61-00</td><td>76.90</td><td>84.10</td></tr>
</table>
कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उनके द्वारा मूल्यांकन की गई वांछित क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की छूट होगी और यथानुपात आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17 (b)</td>
<td></td>
<td>बीज भंडारण सुविधाएँ पैलेट/पैक कवर, स्प्रेयर, डस्टर आदि सहित विभिन्न प्रकार के बीज भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार उपलब्ध है :</td>
<td>बीज और रोपण सामग्री पर उप–मिशन (एस एम एस पी)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>क्षमता (एमटी)</th><th>आकार (व०मी०)</th><th>दर (रुपये/व०मी०)</th><th>कुल लागत (लाख रुपये में)</th></tr>
<tr><td>एसी/जीआई शीट सहित स्टोर</td><td>1000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td></tr>
<tr><td>हवादार फ्लैट छत का भंडार–गृह</td><td>100</td><td>700</td><td>7500</td><td>52.50</td></tr>
<tr><td>निर्धारित स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>14000</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>वातानुकूलित और निरार्द्रित स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>18000</td><td>18.00</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

डी. राष्ट्रीय बीज रिज़र्व

18	प्राकृतिक आपदाओं के काल में और अप्रत्याशित स्थितियों में लघु और मध्यम अवधि की फसलों की किस्मों के बीजों के लिए	1. बीज की लागत – 100% 2. रखरखाव लागत (i) प्रसंस्करण और पैकिंग शुल्क – 300 रुपये/क्विंटल (ii) परिवहन शुल्क – 200 रुपये/क्विंटल 3. बीज भंडारण अवसंरचना की लागत – 10000 क्विंटल क्षमता के लिए 57.74 लाख रुपये। 4. मशीनरी, प्लांट बिल्डिंग, रिसीविंग शेड और ड्रायिंग प्लेटफार्म की खरीद के लिए सहायता – 10000 क्विंटल क्षमता के लिए 70.50 लाख रुपये। 5. सामग्री संचालन उपकरणों की लागत – 50 रुपये प्रति क्विंटल (एक बार)। 6. धूमन, छिड़काव, धूल मुक्त वातावरण के रख–रखाव के लिए आउटसोर्स की गई सेवाओं की लागत, स्टैकिंग, डी–स्टैकिंग और श्रम से जुड़े अन्य ऑपरेशन – 10 रुपये/क्विंटल (हर साल)। 7. अनुपयुक्त बीजों के निराकरण की कीमत – लक्षित भण्डारण की मात्रा का 10% बीज और दाने की कीमत का अंतर। 8. कम्प्यूटरीकरण की लागत	बीज रोपण सामग्री (एस एम एस पी) पर प्रस्तुति

4. किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	योजना
1.	बीज उत्पादन एवं बीज प्रौद्योगिकी पर 50–150 किसानों के समूहों के प्रशिक्षण हेतु।	15,000 रुपये प्रति समूह	बीज ग्राम कार्यक्रम (एस एम एस पी)
2.	50 से 150 किसानों के समूह के लिए बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण के लिए सहायता	15,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण (क) बीज फसल की बुवाई के समय : बीज उत्पादन तकनीक, पृथक्करण, दूरी, बुवाई के तरीकों और अन्य कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण। (ख) फसल के फूल आने की अवस्था के समय। (ग) कटाई के बाद और बीज प्रसंस्करण के समय	बीज ग्राम कार्यक्रम (एस एम एस पी) के माध्यम से तिलहन, दलहन, चारा और हरी खाद फसलों का प्रमाणित बीज उत्पादन
3.	मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसानों का प्रशिक्षण (किसानों को वृत्ति, रहने, आने–जाने का खर्चा उपलब्ध कराया जाएगा)	5200 रुपये प्रति किसान प्रति माह	फसल कटाई के बाद प्रौद्योगिकी प्रबंधन
4.	किसानों का प्रशिक्षण	30 किसानो के बैच के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण (24,000 रुपए प्रति प्रशिक्षण @ 400 रुपए प्रति किसान प्रतिदिन)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और तेल पाम)
5.	40 किसानों के समूहों को पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण	क) एन.जी.ओ / निजी निकायों के लिए 29,200 रुपए प्रति किसान फील्ड स्कूल। ख) राज्य सरकार के संगठनों के लिए 26,700 रुपये प्रति किसान फील्ड स्कूल।	पौध संरक्षण योजना

6.	15–20 किसानों के किसान संघों/किसान समूहों को बढ़ावा देना और वित्तीय संस्थानों और सकल के साथ गठजोड़ करना	4075 रुपये प्रति किसान तीन किस्तों में, 3 वर्षों के लिए	वी आई यू सी (VIUC)
7.	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एन आई ए एस), जयपुर द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (3 दिनों की अवधि के लिए)	30,000 रुपये प्रति कार्यक्रम	ग्रामीण भंडारण योजना
8.	राज्य के बाहर किसानों को 50 मानव दिवस/खण्ड प्रशिक्षण	1250 रुपये प्रति किसान प्रति दिन जिसमें किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है	MIDH के अंतर्गत ATMA योजना (NMAET) उप योजनाएँ NHM
9.	राज्य के भीतर किसानों का प्रशिक्षण (100 मानव दिवस/खण्ड)	1000 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन, जिसमें किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है	आत्मा योजना (NMAET)
10.	ज़िले के भीतर किसानों का प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस प्रति खण्ड)	400 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन, जिसमें आवासीय प्रशिक्षण के लिए किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है। अन्यथा 250 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन, यदि प्रशिक्षण आवासीय नहीं है।	MIDH के अंतर्गत ATMA योजना (NMAET) उप योजनाएँ NHM
11.	प्रदर्शनों की व्यवस्था (125 प्रदर्शन प्रति खण्ड)	4000 रुपये तक प्रति प्रदर्शन भूखण्ड (0.4 हेक्टेयर)	आत्मा योजना (NMAET)
12.	फार्म स्कूल (फसल की छह महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं के समय प्रति सीज़न 25 किसानों को प्रशिक्षण)	29,414 रुपये प्रति फार्म स्कूल	आत्मा योजना (NMAET)

13.	7 दिनों के लिए राज्य के बाहर किसानों का एक्सपोजर विज़िट (प्रति खंड 4 किसान)	1000 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है	आत्मा योजना (NMAET)
14.	5 दिनों के लिए राज्य के भीतर किसानों का एक्सपोजर विज़िट (32 किसान प्रति खंड)	500 रुपये प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है	MIDH के अंतर्गत ATMA योजना (NMAET) उप योजनाएँ NHM
15.	ज़िले के भीतर किसानों का एक्सपोजर विज़िट, 3 दिनों से अधिक नहीं (प्रति खंड 100 किसान)	300 रुपये प्रति किसान प्रति दिन जिसमें किसानों का परिवहन, भोजन और आवास शामिल है	आत्मा योजना (NMAET)
16.	क) क्षमता निर्माण, किसान समूहों का कौशल विकास और अन्य सहायता सेवाओं के लिए) ख) आय सृजन गतिविधि शुरू करने के लिए इन समूहों को एकमुश्त अनुदान के रूप में सीड–मनी	15,000 रुपये प्रति समूह 10,000 रुपये प्रति समूह	आत्मा योजना (NMAET)
	ग) खाद्य सुरक्षा समूह (2 समूह/खण्ड)	10,000 रुपये प्रति समूह	
17.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा चयनित गाँवों में फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफ एल डी)	20,000 रुपये प्रति प्रदर्शन	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना

	फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफ एल डी)	मूंगफली के लिए 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, रेपसीड, सरसों, सूरजमुखी के लिए 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, तिल, कुसुम के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के साथ आई सी ए आर और नाइजर, अलसी और अरंडी के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। प्रत्येक फसल के अंतर्गत एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एक किसान को अधिकतम एक प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी। एफ.एल.डी प्लॉट का आकार एक हेक्टेयर होगा परन्तु 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तेल बीज और पाम तेल)
	(क) चावल, गेहूँ और दालें (ख) मोटे अनाज/पोषक अनाज 2. के.वी.के. के माध्यम से दलहनों का कलस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफ एल डी)	9000 रुपये प्रति हेक्टेयर 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
18.	राज्यों द्वारा कार्यप्रणालियों के विकसित पैकेज का प्रदर्शन (क) धान और गेहूँ (ख) दलहन (ग) मोटे अनाज/पोषक अनाज	 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

	केवल राज्यों द्वारा फसल प्रणाली पर आधारित प्रदर्शन (क) चावल (ख) गेहूँ और दलहन	 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बी जी आर ई आई
19.	वैकल्पिक अपगलन (Retting) प्रौद्योगिकियों पर क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शन (जूट फसल)	20,000 रुपये प्रति प्रदर्शन (7,000 रु० उत्पादक सामग्री के लिए और 1000 रुपये आकस्मिकता के लिए)	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (जूट)
20.	उत्पादन प्रौद्योगिकियों / अंतर–फसल पर एफ एल डी (जूट फसल)	9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (8,000 रुपये उत्पादक सामग्री के लिए और 1,000 रुपये आकस्मिकता के लिए)	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (जूट)
21.	आई सी एम (एकीकृत फसल प्रबंधन) पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन	8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (7,000 रुपये उत्पादक सामग्री के लिए और 1,000 रुपये आकस्मिकता के लिए)	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (जूट)
22.	देसी और ELS (ई एल एस) कपास और ई एल एस कपास बीज के उत्पादन पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन	9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (8,000 रुपये उत्पादक सामग्री के लिए और 1,000 रुपये आकस्मिकता के लिए)	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (कपास)
23.	अंतर–फसलीय फ्रंट लाइन प्रदर्शन (0.4 हेक्टेयर आकार)	8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (7,000 रुपये उत्पादक सामग्री के लिए और 1,000 रुपये आकस्मिकता के लिए)	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (कपास)
24.	उच्च घनत्व रोपण प्रणाली पर परीक्षण	10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के उत्पादक सामग्री लिए 9,000 रुपये और आकस्मिकता के लिए 1,000 रुपये	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (कपास)
25.	गन्ने पर अंतर–फसलीय और सिंगल बड चिप तकनीक पर प्रदर्शन	9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के उत्पादक सामग्री लिए 8,000 रुपये और आकस्मिकता के लिए 1,000 रुपये	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (कपास)

26.	30 किसानों के समूह को 4 सत्रों में खरीफ और रबी के प्रारम्भ में धान/गेहूँ/ दलहन व पोषक अनाजों पर एक–एक सत्र का प्रशिक्षण	3,500 रुपये प्रति सत्र अथवा 14,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण	एन एफ एस एम व्यावसायिक फसल (गन्ना)
27.	खेतों में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन	10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर/ मूंगफली के लिए, 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए, 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर रेपसीड, सरसों, तिल, अलसी और नाइजर प्रति हेक्टेयर के लिए और 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी के लिए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
28.	ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनों के चयन, संचालन और रखरखाव पर प्रशिक्षण	एक से छह सप्ताह की अवधि वाले उपयोगकर्त्ता स्तर के पाठ्यक्रम के लिए प्रति किसान 1200 रुपए की वृत्ति एवं सामान्य वर्ग में आने जाने तथा निःशुल्क आवास की व्यवस्था।	प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण
29.	एकीकृत कृषि, जलवायु परिवर्तन रूपांतरण मृदा, जल और फसलों की उत्तम कृषि पद्धतियों की अवधारणाा पर खेत में प्रदर्शनी एवं उपस्थिति द्वारा किसानों का प्रशिक्षण एवं हितधारकों की क्षमता का विकास।	20 प्रतिभागियों या अधिक के लिए 10,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण सत्र। 50 प्रतिभागियों या अधिक के समूह के लिए 20,000 रुपये प्रति प्रदर्शन	एन एम एस ए का आर ए डी घटक
30.	मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन	खेत में प्रदर्शनों सहित किसानों को प्रशिक्षण; 20 प्रतिभागियों या अधिक के लिए 10,000 रुपये प्रति प्रशिक्षण सत्र एवं प्रति फ्रंट लाइन फील्ड प्रदर्शन 20,000 रुपये	एन एम एस ए का आर ए डी घटक

5. जल संचयन और सिंचाई			
व्या० गतिविधि	**उप गतिविधि**	**सहायता का मानदण्ड**	**योजना का नाम**
जल संचयन और सिंचाई	पानी ले जाने वाले पाईप	50 रुपये प्रति मीटर एच डी पी ई पाईप के लिए या लागत का 50% जो भी कम हो 35 रुपये प्रति मीटर पी वी सी पाईप के लिए या लागत का 50% जो भी कम हो, 15,000 रुपये लागत की अधिकतम सीमा के साथ।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	प्लास्टिक/आर.सी.सी आधारित जल संचयन/खेत तालाब/सामुदायिक टैंक का निर्माण (100 मी० × 3 मी०) छोटे आकार के तालाबों/टैंकों के लिए कमांड क्षेत्र के अनुसार लागत आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी	मैदानी इलाक़ों में प्रति यूनिट 20 लाख रुपये, और 10 हेक्टेयर कमांड एरिया के लिए 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आर.सी.सी लाइनिंग के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में 20 लाख रुपये प्रति यूनिट	एम आई डी एच के अंतर्गत एन एच एम/एन एम एस ए उप योजनाएँ
	व्यक्तिगत रूप से खेत के तालाब/कुएँ में पानी का भंडारण, (20 मी० × 20 मी० ×3 मी० माप वाला)	मैदानी इलाकों के लिए प्रति लाभार्थी लागत का 50% और 0.75 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक सीमित	एम आई डी एच के अंतर्गत

	छोटे आकार के तालाबों/ कुओं के लिए, लागत आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी।	2 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/ आर.सी.सी लाइनिंग, 0.90 लाख रुपये प्रति लाभार्थी (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) बिना लाइनिंग वाले तालाबों के लिए 30% कम सहायता प्रदान की जाएगी।	एन एच एम/ एन एम एस ए उप योजनाएँ
	(ए) रिसाव के नुक्सान को कम करने के लिए परत के साथ नए फार्म तालाबों का निर्माण (बी) जल संचयन संरचनाएँ/तालाब	लागत का 50%, 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक की अधिकतम सीमा के साथ मैदानी इलाकों के लिए लागत का 50%, 75,000 रुपए तक सीमित। तथा पहाड़ी क्षेत्रों में परत वाले तालाबों के लिए 90,000 रुपए तक सीमित।	एन एच एम/ एन एम एस ए उप योजनाएँ एन एम एस ए
	बोर वेल	100% प्रति यूनिट सहायता, 30,000 रुपए तक सीमित। (बी जी आर ई आई) प्रति यूनिट लागत का 50%, 25,000 रुपए तक सीमित।	पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बी जी आर ई आई)
	उथले नलकूप	100% सहायता, 12,000 रुपए तक सीमित	(बी जी आर ई आई)
	पंप सेट 10 हार्स पावर तक	10,000 रुपए प्रति पंप सेट या लागत का 50%, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

	व्यक्तिगत जल संचयन प्रणाली	लागत का 50%, निर्माण लागत 125 रुपये प्रति घन मीटर मैदानी क्षेत्रों के लिए 150 रुपये प्रति घन मीटर तक सीमित। लाइनिंग सहित संरचनाओं के लिए मैदानी क्षेत्रों में 75,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90,000 रुपये तक सीमित छोटे आकार के तालाबों/कुओं के लिए, आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य लागत। बिना परत के तालाबों/टैंकों की लागत 30% कम होगी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	म न रेगा/डब्ल्यू एस डी पी आदि के अंतर्गत निर्मित टैंकों/तालाबों की परत	प्लास्टिक/आर.सी.सी लाइनिंग की प्रति टैंक/तालाब/कुआँ 50% लागत, 25,000 रुपये तक सीमित	एन एम एस ए
	समुदायों के लिए जल संचयन प्रणाली : सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/आर.सी.सी लाइनिंग के उपयोग के साथ सामुदायिक टैंक/खेत में बने तालाब/चेक डैम/जलाशय का निर्माण।	लागत का 100%, 10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र हेतु मैदानी क्षेत्रों में 20 लाख रुपये/यूनिट तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 25 लाख रुपये प्रति यूनिट तक सीमित। कमांड क्षेत्रों के अनुसर आनुपातिक आधार पर किसी भी छोटे आकार के लिए बिना लाइनिंग वाले तालाबों/टैंकों की 30% लागत कम होगी।	एन एम एस ए
	नलकूपों/बोरवेलों का निर्माण (उथले/मध्यम)	स्थापना की कुल लागत का 50%, 25,000 रुपए प्रति यूनिट तक सीमित।	एन एम एस ए

	छोटे टैंकों का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण	नवीनीकरण की लागत का 50%, 15,000 रुपये प्रति यूनिट तक सीमित।	एन एम एस ए
	पाइप/प्री–कास्ट वितरण प्रणाली	सिस्टम की लागत का 50%, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित। अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी या प्रति समूह तक की सहायता।	एन एम एस ए
	जल चढ़ाने वाले उपकरण (इलेक्ट्रिक, डीज़ल, पवन/सौर)	स्थापना की लागत का 50%, 15,000 रुपये प्रति इलेक्ट्रिक/डीज़ल इकाई तक।	एन एम एस ए

सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

बागवानी विभाग

बागवानी निदेशालय
गोल पुली, तालाब तिल्लो, जम्मू
दूरभाष – 0191–2505781 फैक्स : 0191–2501219
वैबसाइट – www.hortijmu.jk.gov.in

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच) के अन्तर्गत लागत मानदंड एवं सहायता का प्रतिरूप

1. वृक्षारोपण बुनियादी ढाँचा और विकास			
सं.क्र.	**सहायता का प्रकार**	**सहायता की दर**	**योजना**
(i)	हाईटेक बड़ी नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र (4 हेक्टेयर)	100.00 (लाख)	एकीकृत बागवानी विकास मिशन
(ii)	हाईटेक बड़ी नर्सरी निजी क्षेत्र (4 हेक्टेयर)	40.00 (लाख)	
(iii)	छोटी नर्सरी, सार्वजनिक क्षेत्र (1 हेक्टेयर)	15.00 (लाख)	
(iv)	छोटी नर्सरी निजी क्षेत्र (1 हेक्टेयर)	7.50 (लाख)	
2. क्षेत्र विस्तार जिसमें वृद्ध वृक्षों का प्रतिस्थापन शामिल है			
(2.1) आला फसलें			
(i)	आंवला	0.180 (लाख / हेक्टेयर)	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	जामुन	0.180 (लाख / हेक्टेयर)	
(iii)	बेल	0.180 (लाख / हेक्टेयर)	
(iv)	फालसा	0.180 (लाख / हेक्टेयर)	
(2.2) सामान्य दूरी वाले फलदार वृक्षों का रोपण			
(i)	एकीकरण के बिना (60 : 20 : 20)	0.180 (लाख / हेक्टेयर)	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	प्रोत्साहन राशि, पहला साल	0.060 (लाख / हेक्टेयर)	
(iii)	प्रोत्साहन राशि, दूसरा साल	0.060 (लाख / हेक्टेयर)	

2.3 कायाकल्प/वृद्ध वृक्षों का प्रतिस्थापन/केनॅपी प्रबंधन			
	कायाकल्प/वृद्ध वृक्षों का प्रतिस्थापन/केनॅपी प्रबंधन	0.20 (लाख/हेक्टेयर)	
3. जल स्रोतों का निर्माण			
	व्यक्तिगत जल संचयन प्रणाली के निर्माण हेतु 20×20×3m आकार के तालाब/नलकूप/कुएँ @100/ घन मीटर में पानी भंडारण की संरचना (पहाड़ी क्षेत्र)	0.90 (लाख/हेक्टेयर)	
4. संरक्षित खेती			
4.1 प्राकृतिक रूप से हवादार प्रणाली			
(i)	ट्यूबलर संरचना	लागत का 50% प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के अधिकतम क्षेत्रफल के लिए (पहाड़ी क्षेत्र) 0.006095 लाख/ प्रति वर्ग मीटर	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	प्लास्टिक मल्चिंग	कुल लागत का 50% प्रति लाभार्थी 2 हेक्टेयर तक सीमित/ 0.184 (लाख) प्रति हेक्टेयर	

4.2 शेड नेट हाऊस			
(i)	ट्यूबलर संरचना	लागत का **50%** प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के अधिकतम क्षेत्रफल के लिए (पहाड़ी क्षेत्र)/ **0.00408** (लाख रुपए/वर्ग मीटर)	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	पक्षियों एवं ओलों से बचाव के लिए जाली	प्रति लाभार्थी 5000 वर्ग मीटर के लिए सीमित। **0.000175** लाख रुपए/प्रति वर्ग मीटर	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(5) एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन			
	एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन एवं एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना	लागत का 30% प्रति अधिकतम रु. **1200** प्रति हेक्टेयर तक, **4** हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित। **0.0112** लाख रुपए प्रति हेक्०	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(6) जैविक खेती			
(i)	केंचुआ खाद इकाई	**0.50** (लाख) प्रति इकाई	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड	**0.08** (लाख) प्रति इकाई	
(7) मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण सहायता			
(i)	मधुमक्खी कॉलोनी	**0.008** (लाख) प्रति कॉलोनी	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	मधुमक्खी छत्ता	**0.008** (लाख) प्रति छत्ता	

(8) बागवानी मशीनीकरण			
(i)	ट्रैक्टर (20 पी.टी.ओ एच.पी तक)	1.00 (लाख) प्रति ट्रैक्टर	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	पावर टिलर (8 बी,एच.पी से कम)	0.50 (लाख) प्रति टिलर	
(iii)	पावर टिलर (8 बी,एच.पी से ऊपर)	0.75 (लाख) प्रति टिलर	
(9) एकीकृत पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन			
(i)	पैक हाऊस का आकार 30'×20'	2.00 (लाख) प्रति इकाई	एकीकृत बागवानी विकास योजना
(ii)	संरक्षण इकाई (कम लागत वाली)	1.00 (लाख) प्रति इकाई	
(10) बागवानी गतिविधियों के तहत सहायता			
(i)	उच्च घनत्व वृक्षारोपण को बढ़ावा	0.50 (लाख) प्रति हेक॰ या @ 2500/कनाल की दर से यथानुपात आधार पर कम से कम 4 कनाल क्षेत्र के लिए	केपेक्स
(ii)	स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा	रुपये 0.13 (लाख)/ कनाल	
(iii)	एलोवेरा की खेती को बढ़ावा	रुपये 0.75 (लाख) प्रति हेक्टेयर	

सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

पशुपालन विभाग

पशु पालन निदेशालय
गोल पुली, तालाब तिल्लो, जम्मू
दूरभाष : 0191–2505552, 0191–2505247
Website : www.animalhusbandryjammu.nic.in

एकीकृत डेयरी विकास योजना

क्र. सं.	न्यूनतम क्षमता वाला घटक	सहायता का प्रतिरूप	लाभार्थी की पात्रता	योजना / घटक
1.	डेयरी इकाई की स्थापना (5 गाय/भैंस एक डेयरी इकाई के रूप में)	50% सब्सिडी की अधिकतम सीमा के साथ। चार डेयरी इकाईयों (20 गायों) तक 1.75 लाख प्रति डेयरी इकाई (5 डेयरी पशु) तक सीमित। जो लाभार्थी 5 से 10 डेयरी इकाईयों (25 से 50 पशुओं) को प्रतिष्ठापित करना चाहते हों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी हो, उनके लिए प्रति डेयरी इकाई 2.00 लाख रुपये की अधिकतम सब्सिडी सीमा होगी।	दुग्ध परिसंघ/सहकारी/एस एच जी/एफ पी ओ/व्यक्तिगत लाभार्थी या व्यक्तियों का एक समूह जो एक नया डेयरी फार्म शुरू करने का इरादा रखते हैं।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

1.1	जम्मू–कश्मीर के यूटी में लखनपुर से डेयरी पशुओं को किसी भी गंतव्य तक पहुँचाने के लिए परिवहन सब्सिडी	50% सब्सिडी प्रति डेयरी पशु, 1000 रुपए तक सीमित	घटक 1 का विकल्प चुनने वाले लाभार्थी, हालांकि माल भाड़े के बिलों पर अनुदान दिया जाएगा।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

2. दुग्ध संग्रह/चिलिंग/प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना :

2.1	बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट (250 लीटर से 2000 लीटर)	5.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	व्यक्तिगत लाभार्थी या व्यक्तियों का एक समूह जो दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा के मालिक हों या ऐसी सुविधा से जुड़े होने चाहिएँ या कम से कम 10 गायों/भैंस डेयरी फार्म के मालिक हों। दुग्ध संघ/दुग्ध कंपनियां/किसान उत्पादक संगठन/दुग्ध एस एच जी 1 से 3 बी एम सी के लिए लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सब्सिडी की अधिकतम सीमा 15.00 लाख (प्रत्येक बी एम सी के लिए 5 लाख रुपये) तक सीमित, हालांकि बी एम सी 2 अलग–अलग स्थानों/मिल्क शेड क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिएँ।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
2.2	दुग्ध मिलावट का पता लगाने की सुविधा के साथ ऑटोमेटिक मिल्क क्लेक्शन	1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	व्यक्तिगत लाभार्थी या व्यक्तियों का एक समूह जिन्होंने इस योजना के तहत एक अपेक्षित क्षमता बी एम सी का विकल्प चुना है या उसके मालिक हें।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

	यूनिट की स्थापना कम से कम 1000 लीटर क्षमता की बी.एम.सी के साथ)		संगठन/दुग्ध एस एच जी 1 से 3 ए एम सी यू का लाभ उठा सकते हैं। जिसकी अधिकतम सब्सिडी सीमा 4.5 लाख रुपए, हालांकि ए एम सी यू को बी एम सी के साथ 3 अलग–अलग स्थानों/मिल्क शेड क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए।	
2.3	पनीर बनाने की मशीन 120 ली० प्रति घंटा/खोया बनाने की मशीन 100 ली० उबाल के साथ और 20 किलो खोया प्रति घंटा/क्रीम सेपरेटर 300 ली० प्रति घंटा/ दही बनाने की मशीन 500 ली० प्रति घंटा/ आइसक्रीम बनाने की मशीन 20 लीटर क्षमता /मक्खन और घी बनाने की 200 ली० क्षमता के साथ।	3.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	मिल्क फेडरेशन/सहकारी/ एस एच जी/एफ पी ओ, कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह इस योजना का लाभ उठा सकता है।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
2.4	मोत्ज़ारेला पनीर उत्पादन के लिए विभिन्न क्षमताओं की पनीर उत्पादन इकाईयाँ, दूध उपचार के लिए वत्स दूध की	3.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	मिल्क फेडरेशन/सहकारी/ एस एच जी/एफ पी ओ, कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह इस योजना का लाभ उठा सकता है।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

	जमावट, कर्ड स्लाईसिंग। किसी भी प्रकार के पास्ता फिलाटा पनीर को पकाना, खींचना और ढलाई करना, मोत्ज़ारेला फियोर डी लेट्टे, पिज़्ज़ा, पनीर आदि, कलाड़ी पनीर बनाने के लिए/ पैकेजिंग और ब्रांडिंग			
2.5	मिल्किंग मशीन, पूरी तरह से स्वचालित/ अर्द्ध स्वचालित, एकल बाल्टी/दो बाल्टी /तीन बाल्टी/ चल/अचल पाइप लाईन।	50% सब्सिडी के साथ अधिकतम स्वीकार्य पूंजी 0.80 लाख रुपए	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जिनके पास कम से कम 5 डेयरी गाय/भैंसें हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
2.6	मिल्किंग पार्लर– डेयरी पार्लर पर न्यूनतम 4 अंक स्विंग	5.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिगत /डेयरी फार्म व्यक्तियों के समूह जिसमें कम से कम 10 डेयरी गाय/भैंसें हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

3. बाज़ार के बुनियादी ढाँचे की स्थापना :

3.1	मिल्क ए.टी.एम मशीन (वेंडिंग मशीन) (200 एम एल, 500 एमएल, 1000 एमएल और 2000 एमएल की वितरण क्षमता। दूध की बाल्टी का आकार 500 लीटर तक, तापमान विनियमन 3° से 4° सेल्सियस, वाहन पर स्थिर या स्थापित करने योग्य	5.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	दुग्ध महासंघ/सहकारिता/ स्वयं सहायता समूह/एफपीओ या व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह जो दूध प्रसंस्करण सुविधा/ शीतलन सुविध के मालिक हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
3.2	डीज़ल जैनरेटर सेट न्यूनतम बिजली उत्पादन 3.5 केवीए	1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	दुग्ध महासंघ/सहकारिता/ स्वयं सहायता समूह/एफ पी ओ या किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह जो दूध/दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण सुविधा/शीतलन सुविधा/दैनिक खेत/दुग्ध एटीएम के मालिक हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

4. दुग्ध/दुग्ध उत्पाद परिवहन प्रणाली की स्थापना :

4.1	रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद	4.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	दुग्ध महासंघ/सहकारिता/ एसएचजी/एफपीओ, कोई भी व्यक्तिगत लाभार्थी या लाभार्थियों का समूह जो कम से कम दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा या बीएमसी या दुग्ध आउटलेट या 10 गाय/भैंस डेयरी फार्म का मालिक हो या दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा से जुड़ा हुआ होगा।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

4.2	दुग्ध वाहन की खरीद	2.00 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	दुग्ध महासंघ/सहकारी/एस एच जी/एफ पी ओ, व्यक्तिगत लाभार्थी या लाभार्थियों का एक समूह जो कम से कम दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा या बी एम सी या दुग्ध आउटलेट या 5 गाय/भैंस डेयरी फार्म का मालिक होगा।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
4.3	श्रीनगर/जम्मू हवाई अड्डे से देश के किसी भी गंतव्य तक हवाई यात्रा के माध्यम से प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों के लिए समर्थन	एयर वे बिल पर 50% सब्सिडी 10 रुपये प्रति किलो दूध उत्पाद की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह दुग्ध सहकारी/एफ पी ओ/एस एच जी/दुग्ध कंपनियाँ जो हवाई परिवहन के माध्यम से जे एंड के यू टी के बाहर अपने दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने का इरादा रखते हैं।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

5. डेयरी फार्मों का पर्यावरण प्रबंधन :

5.1	डेयरी अपशिष्ट/डेयरी सीवेज उपचार संयंत्र	(i) 50% सब्सिडी 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 3–5 केएलडी क्षमता के लिए। (ii) 2.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी। 5–10 केएलडी क्षमता के लिए। (iii) >10 केएलडी क्षमता के लिए	नए या मौजूदा डेयरी किसान जो 5 से अधिक गायों वाले डेयरी फार्मों/गौशालाओं के समूह के मालिक हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

		50% सब्सिडी। 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।		
5.2	बायोगैस संयंत्र विभिन्न क्षमताओं के सहायक उपकरणों के साथ	2.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	नए या मौजूदा डेयरी किसान जो 5 से अधिक गायों वाले डेयरी फार्मों/गौशालाओं के समूह के मालिक हों।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)
5.3	गाय के गोबर से पानी निकालने की व्यवस्था और गाय का गोबर सुखाने/लॉग बनाने की मशीन	0.80 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	नए/मौजूदा डेयरी किसान/ गौशालाएँ।	एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत (कैपेक्स)

फीड और चारा विकास योजना :

1. व्यावसायिक पशु आहार मिल/संयंत्र की स्थापना :

क्र. सं.	न्यूनतम क्षमता वाला घटक	सहायता की दर	लाभार्थी की पात्रता	योजना/ घटक
1.1	गोली/जाल फीड संयंत्र, 1–2 टन प्रति घंटे की क्षमता	50% सब्सिडी। 17.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/दुग्ध महासंघ /सहकारी/एस एच जी/ एफ पी ओ	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
1.2	गोली/जाल फीड संयंत्र, 3–5 टन प्रति घंटे की क्षमता	50% सब्सिडी। 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/दुग्ध महासंघ /सहकारी/एस एच जी/ एफ पी ओ	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
1.3	फीड संयंत्र के प्रमुख उपकरणों में से कोई भी जैसे हैमर मिल/ग्राइंडर, मिक्सर, कंडीशनर पैलेट मिल, कूलर, स्क्रीनर, लिफ़्ट, फ़ीडर कन्वेयर (1–2 टन क्षमता) के साथ	किसी भी उपकरण पर 50% सब्सिडी या कई उपकरणों के लिए 17.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/दुग्ध महासंघ /सहकारी/एस एच जी/ एफ पी ओ	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
1.4	फीड संयंत्र के प्रमुख उपकरणों में से कोई भी जैसे हैमर मिल/ग्राइंडर, मिक्सर, कंडीशनर पैलेट मिल, कूलर, स्क्रीनर, लिफ़्ट, फ़ीडर कन्वेयर (3–5 टन क्षमता) के साथ	किसी भी उपकरण पर 50% सब्सिडी या कई उपकरणों के लिए 25.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/दुग्ध महासंघ /सहकारी/एस एच जी/ एफ पी ओ	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)

2. डेयरी किसान द्वार नैनो/लघु पशु आहार मिल/कारखने की स्थापना :

2.1	नैनो/छोटे जालीदार प्लांट। ग्राइंडर, मिक्सर और कन्वेयर सहित 100–200 किलो प्रति घंटे की क्षमता के साथ।	पूरे यूनिट या इसके किसी भी उपकरण पर 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	कोई भी व्यक्ति/किसानों का समूह/डेयरी किसान/दुग्ध महासंघ/सहकारी/एस एच जी/एफ पी ओ का कोई व्यक्ति समूह	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)

3. ढाँचागत सहायता

3.1	डीज़ल जैनरेटर सैट कम से कम 5 केवीए की न्यूनतम बिजली उत्पादन की क्षमता के साथ	1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	जो लाभार्थी एनेक्सचर 1 के घटक 1 से 2 द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, इस योजना के पात्र हैं।	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)

4. चारा विकास

4.1	न्यूनतम 4 टन प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता के साथ सिलेज बेलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, बिजली या डीज़ल से संचालित	5.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	कोई भी व्यक्ति/दुग्ध किसानों का समूह/न्यूनतम 5 गायों या भैंसों की इकाई के आकार का/दुग्ध महासंघ/सहकारी/एसएचजी/एफीओ इसका लाभ उठा सकता है।	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
4.2	टी.एम.आर चारा ब्लॉक बनाने की मशीन	50% सब्सिडी। 7.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ	व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एफपीओ/स्वयं सहायता समूह/सहकारिता/ का कोई समूह	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
4.3	मिनी ट्रैक्टर 15 एचपी जुताई के उपकरण के साथ	50% सब्सिडी। 2.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ	कोई भी व्यक्ति/किसानों का एक समूह जिनके पास न्यूनतम 5 गायों की इकाई हो या कृषि/बागवानी योग्य न्यूनतम 10 कनाल भूमि हो	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)

			हो जो चारा उगाने के लिए उपयुक्त हो। लाभार्थी जो घटक 4 के 4.1 के तहत लाभ चाहता है, इसका भी लाभ उठा सकता है।	
4.4	स्वचालित डीज़ल संचालित चारा संचयन/रीपर मशीन या एकल पंक्ति हार्वेस्टर जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जा सकता हो।	2.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	5 गायों की न्यूनतम इकाई/10 कनाल चारा उगाने की उपयुक्त ज़मीन रखने वाला कोई भी किसान व्यक्तिगत या समूह के साथ इसका लाभ उठा सकता है।	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
4.5	बिजली या डीज़ल संचालित चैफ कटर न्यूनतम 2 एचपी मोटर्स के साथ	0.25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	2 गायों की न्यूनतम कृषि आकार के साथ कोई भी व्यक्तिगत डेयरी किसान	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
4.6	आधारभूत संरचना का निर्माण/ हाइड्रोपोनिक चारा इकाई (स्वचलित/ अर्द्ध स्वचलित/ मैनुअल) क्षमता 50–600 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापना	50% सब्सिडी 4.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ।	कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/दुग्ध महासंघ/ सहकारी/एफपीओ/स्वयं सहायता समूह	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)
4.7	एजोला चारा प्लॉट की स्थापना 2.5× 1.25 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट पर प्रति प्लॉट 2000 रुपये। 10 प्लॉटों से लेकर अधिकतम 100 प्लॉटों तक यह लाभ दिया जाएगा।	प्रति प्लॉट 1000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	किसी भी व्यक्ति/ व्यक्तिगत डेयरी किसानों के समूह में कम से कम 2 डेयरी पशु होने अनिवार्य हैं।	फीड एवं चारा विकास योजना (कैपेक्स के तहत)

एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम के तहत पोल्ट्री को बढ़ावा

क्र. सं.	न्यूनतम क्षमता वाला घटक	सहायता की दर	लाभार्थी की पात्रता	योजना / घटक
1.	नए वाणिज्यिक ब्रायलर फार्म की स्थापना, 1000 ब्रायलर / 2500 ब्रायलर / 5000 ब्रायलर / और 10,000 ब्रायलर क्षमता वाले			
	(क) एक दिन के चूज़े की कीमत 1000 चूज़े सहित 2500 चूज़े सहित 5000 चूज़े सहित और 10000 चूज़े पालने की क्षमता के साथ एक नए वाणिज्यिक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना	पहली उपज के लिए 100% प्रोत्साहन जिसमें अधिकतम लागत सीमा 25 रुपये प्रति चूज़ा है। दूसरी फसल के लिए 50% सब्सिडी 12.50 रुपये चूज़ा की अधिकतम लागत सीमा के साथ और तीसरी फसल के बाद से कोई सब्सिडी या कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।	कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह / एसएचजी / कोऑपरेटिव / एफपीओ जो नया वाणिज्यिक पोल्ट्री फार्म शुरू करने का इरादा रखता है, पात्र है। लाभार्थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले उपयुक्त एन.ओ.सी प्राप्त करेगा और पशुपालन विभाग जम्मू / कश्मीर में अपना पंजीकरण कराएगा।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
2.	वाणिज्यिक ब्रायलर्स के लिए पोल्ट्री बीमा का सब्सिडी घटक	प्रीमियम का 50% सब्सिडी अधिकतम 1.00 रुपये प्रति डी ओ सी के साथ। 500 ब्रायलर पक्षियों की न्यूनतम इकाई आकार	पशुपालन विभाग जम्मू / कश्मीर में पंजीकृत नए या मौजूदा पोल्ट्री किसान	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

3.	पोल्ट्री ड्रेसिंग और प्रसंस्करण इकाई, सहायक मशनरी के साथ (i) खुदरा ड्रेसिंग प्रकार (प्रतिदिन 500 पक्षी) एस.एस.सिंक टेबल न्यूनतम 8 वध कोन, 150 लीटर की क्षमता वाला गर्म पानी का स्केल्डर, पंख उखाड़ यंत्र, काम करने एवं अंतड़ियाँ निकालने के लिए 4′×2′×2.5′ मेज़, चाकू, दो बक्सों के साथ एस.एस ट्रॉलियाँ आदि।	0.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	कोई भी व्यक्ति या समूह एस.एच.जी/सहकारिता/एस.पी.ओ/मुर्गी पालक/पोल्ट्री रिटेल यूनिट	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
	(ii) मिनी ड्रेसिंग प्रकार (1000–2000 पक्षी प्रतिदिन) न्यूनतम 12 वध कोन शंकु, पानी मिक्सर नल, 200 लीटर क्षमता वाला गर्म पानी का स्केल्डर, पंख उखाड़ यंत्र, काम करने एवं अंतड़ियाँ	50% सब्सिडी, अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक सीमित	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह/एस.एच.जी/सहकारी/एफ.पी.ओ.आई/मुर्गी पालक/फुटका पोल्ट्री इकाईयाँ	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

	निकालने के लिए 4′×2′×2.5′ का मेज़, भाग कटर मशीन; वैक्यूम पैकिंग मशीन, 08 प्लास्टिक बक्से अदि के साथ एस.एस ट्राली	0.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी।	कोई भी व्यक्ति या समूह एस.एच.जी/सहकारिता/ एस पी ओ/मुर्गी पालक/ पोल्ट्री खुदरा इकाई	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
	(iii) सम्पूर्ण स्वचालित कन्वेयर ड्रेसिंग प्लांट (2000 पक्षी प्रतिदिन) (ओवरहेड स्वचालित कन्वेयर्ड बेड़ी, 200 लीटर क्षमता का गर्म पानी का स्केल्डर, पंख उखाड़ यंत्र, काम करने एवं अंतड़ियाँ निकालने के लिए 4′×2′×2.5′×5′ का मेज़, भाग कटर मशीन वैक्यूम, पैकिंग मशीन, 08 प्लास्टिक बक्सों के साथ एस.एस ट्रॉली, घुमावदार पेच चिलर, पानी की ट्रे के साथ ड्रिप ड्रम आदि।	अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक सीमा के साथ 50% सब्सिडी	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह/एस.एच.जी/ सहकारी/एफ.पी.ओ.आई/ मुर्गी पालक/खुदरा पोल्ट्री इकाईयाँ	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

	(iv) सहायक मशीनरी सर्वो स्टेबलाइज़र : क्षमता : 10 केवीए, सिंगल फेस : इनपुट वोलटेज : 90-300V हाई वेल्टेज कट–ऑफ एयर कूल्ड डिजिटल माईक्रो कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई : ए.सी पूरी तरह से स्वचालित, डीज़ल जैनरेटर आउटपुट प्रकार : सिंगल फेस ए.सी प्रकार : साइलंट / साउंड प्रूफ; आवृत्ति–50 हर्ट्ज़; वोल्टेज–230-415V; कूलिंग सिस्टम – एयर कूलिंग आउटपुट–10 एचपी (7.3 किलो वाट) कोल्ड स्टोरेज़ सुविधाएँ : वॉक–इन फ्रीज़र एस.एस ब्लास्ट, फ्रीज़र और चिलर, डबल चैंबर;	अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सीमा के साथ 50% सब्सिडी	लाभार्थियों जिन्होंने क्रमांक 3 से 1 तक का विकल्प चुना है वो इस घटक का लाभ ले सकते हैं।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

	वोल्टेज 220-480 V : आवृत्ति–50–60 हटर्ज़ : तापमान–20° सेल्सियस + 4° सेल्सियस ; अर्द्धस्वचालित ; आयाम–12´×8´× 8´	अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सीमा के साथ 50% सब्सिडी	लाभार्थियों जिन्होंने क्रमांक 3 से 1 तक का विकल्प चुना है वो इस घटक का लाभ ले सकते हैं।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
4.	मोबाइल पोल्ट्री प्रोसेसिंग व वाहन पर संकलित चार पहिया (407 व समकक्ष माडल) पर जोड़ा हुआ केबनेट पी.यू.एफ का पेनल। 5 पोल्ट्री बक्से जीवित पक्षियों को संभालने के लिए स्केलडिंग टैंक/पंख उखाड़ने के लिए (वैकल्पिक) नल व सिंक सहित स्टेनलेस स्टील का प्रसंस्करण मेज़ जिसमें 5 वध/रक्तस्राव कोन हों एवं रक्तस्राव के उचित प्रवहन के लिए पानी के	अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक की सीमा के साथ 50% सब्सिडी	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एस एच जी/ सहकारी/एफ पी ओ/मुर्गी पालक/पोल्ट्री खुदरा इकाई	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

	टैंक की अटैचमेंट हो। चिलिंग टैंक 300 लीटर पानी की टंकी, गर्म पानी की सुविधा के लिए सौर गीज़र।			
5.	पोल्ट्री प्रतिपादक इकाई (500–1000 पक्षी प्रति बैच, 4 घंटों के लिए) चिकन प्रतिपादन बैच कुकर, पूर्व भंजक, टैलो अलग करने के लिए मथनी टोकरी	2.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एस.एच.जी/सहकारी/एफ.पी.ओ/मुर्गी पालक/पोल्ट्री खुदरा इकाई	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
6.	पोल्ट्री पक्षियों के परिवहन के लिए विशेष पिंजरेदार वाहन	अधिकतम 2.00 लाख रुपये की सीमा के साथ 50% सब्सिडी	नए और मौजूदा व्यावसायिक पोल्ट्री किसान जो पशुपालन विभाग के साथ पंजीकृत हों और 5000 या उससे ज़्यादा चूज़े पालने की क्षमता रखते हों।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)
7.	1000, 2500 की पालन क्षमता वाले व्यावसायिक ब्रायलर पोल्ट्री फार्मों के लिए उपकरण। एक ही उत्पाद में 5000 या उससे अधिक चूज़े। उच्च दबाव वॉशर : वर्किंग	पात्रता कॉलम में दर्शाए गए अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	1000 चूज़ों की क्षमता वाले नए और मौजूदा व्यावसायिक ब्रायलर किसानों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 5000 रुपये, 2500 चूज़ों की क्षमता की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये और 5000 चूज़ों की क्षमता वाले फार्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 30,000 रुपये होगी।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

	प्रेशर रेंज **2600–2700** PSL ऑपरेटिंग प्रेशर– **2650** PSL, इंजन साईज़– **200** CC, इलेक्ट्रिक फ्यूमिगेटर : स्टेनलेस स्टील ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक टाईप (फीडर, ड्रिंकर्स, लकड़ी के बुरादे की बुखारी, हाई प्रेशर वॉशर, इलेक्ट्रिक फ्यूमिगेटर			
8.	मिनी हैचर/ इनक्यूबेटर (क्षमता **200**–**5000** अंडे)	**0.10** लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 50% सब्सिडी	कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अंडा देने/ दोहरे उद्देश्य वाले विदेशी/ स्वदेशी किस्मों को पालने/ वंश बढ़ाने का काम कर रहा हो या उसका इरादा रखता हो।	एकीकृत पोल्ट्री विकास कार्यक्रम (कैपेक्स)

सत्यमेव जयते

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

भेड़ पालन विभाग

भेड़ पालन निदेशालय
रेलहैड काम्प्लेक्स, जम्मू
पिन – 180004
दूरभाष : 0191–2470075 फैक्स : 0191–2470754
email - directorshdjammu@gmail.com
dirshd-jammu@jk.gov.in
website : www.sheepjammu.nic.in

एकीकृत भेड़ पालन विकास के अन्तर्गत लागत मानदंड एवं सहायता का प्रतिरूप

1. एकीकृत भेड़ पालन विकास योजना

क्र. सं.	संघटक भाग	सहायता के लिए मानदंड/अधिकतम सीमा	लाभार्थी की पात्रता	योजना
1.	कुल 25 भेड़/बकरियों की इकाई की भागीदारी के आधार पर स्थापना	शुरू में पशुधन की 100% मुफ्त आपूर्ति तत्पश्चात् वर्ष 03 से चरणबद्ध तरीके से मादा संतान से समकक्ष पशुधन की पुनः प्राप्ति 25 भेड़/बकरियों की इकाई की कीमत @ रु. 8000 प्रति पशु (प्रथम वर्ष के बीमा प्रीमियम सहित) कुल रु. 2.0 लाख। प्रदर्शन बोर्ड 3′×2′ एवं अन्य खर्च @ रु. 5000 कुल जोड़ = रु. 2,05,000 प्रति इकाई	कोई भी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठन/समूह। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के 20 प्रतिशत लाभार्थियों और 10 प्रतिशत महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।	एकीकृत भेड़ विकास योजना
2.	कुल 25 भेड़/बकरियों की इकाई की सब्सिडी के ढंग से स्थापना	1.0 लाख की अधिकतम सीमा के साथ सब्सिडी के रूप में यूनिट की लागत का 50% प्रति युनिट (25 भेड़/बकरियों) जो भी कम हैं। अथवा एक साथ 8 इकाईयों (प्रत्येक यूनिट 25 भेड़/बकरियाँ) की स्थापना जिसमें कुल	कोई भी व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठन/समूह। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के 20 प्रतिशत लाभार्थियों और 10 प्रतिशत महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।	एकीकृत भेड़ विकास योजना

		मैगा यूनिट 200 भेड़/बकरी के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा रु. 8.00 लाख है।		
3.	कतरनी इकाईयों की खरीद जिसमें एक बाल कतरनी मशीन, एक जैनरेटर सैट और सहायक उपकरण/पुर्ज़े शामिल हैं।	कुल इकाई लागत का 50% सब्सिडी के रूप में, रु. 75000 की अधिकतम सीमा के साथ/जो भी कम है।	कोई भी व्यक्ति जो एम एस एस में प्रशिक्षित हो या प्रशिक्षण प्राप्त करने का इरादा रखता हो।	एकीकृत भेड़ विकास योजना
2. जनजातीय उपयोजना				
	कुल 10 भेड़/बकरियों एवं 1 प्रजनन योग्य नर मेंढे/बकरे की मिनी इकाई	पशुधन की शुरू में 100% मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। समकक्ष मादा संतान संख्या की पुनः प्राप्ति तीसरे वर्ष से चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। 10 भेड़/बकरियों की इकाई की कीमत @ रु. 8000/ पशु = 80,000 और एक प्रजनन योग्य नर @12,000/पशु और पशुओं का बीमा। प्रदर्शन बोर्ड और परिवहन शुल्क रु. 8000/इकाई पशुधन इकाई की कुल लागत= रु. 1.00 लाख	केवल अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए। यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए है। प्रवासी परिवारों को, महिलाओं, बेरोज़गार युवा और कोविड–19 ग्रसित परिवार जिनमें मुख्य जीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई हो को प्राथमिकता दी जाएगी	ट्राइबल सब प्लान कैपेक्स के अंतर्गत

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) :

	कुल 10 भेड़/बकरियों की मिनी इकाई की पहले से स्थापित इकाईयों से पुनः प्राप्ति कर स्थापना करना	पशुधन की शुरू में 100% मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। समकक्ष संख्या की मादा संतान की पुनः प्राप्ति तीसरे वर्ष से चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्राप्त पशु का प्रयोग नई इकाईयों की स्थापना के लिए किया जाएगा।	कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

जारीकर्त्ता : किसान प्रशिक्षण केंद्र
बावा जित्तो किसान केंद्र, तालाब तिल्लो, जम्मू।
वर्ष 2021–22 क्रम 1/एफ टी सी

Printed at the Ranbir Government Press, Jammu.